राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2023-2024

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2023-2024

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2023-2024

स्वस्थ नागरिक राष्ट्र व समाज की सम्पत्ति है। "**Health is Wealth**" अच्छे स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। अपने नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना सरकार का परम कर्तव्य व उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार नई–नई योजनायें बनाकर आमजन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बडा राज्य है। अतः सभी क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधायें पहुँचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु चिकित्सा विभाग राज्य के नागरिकों को समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवायें उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की नीतियों के अनुरूप योजनाओं का निर्माण कर उन्हें कार्य रूप मे परिणित करना है।

राज्य में 16 दिसम्बर 2023 से "**विकसित भारत संकल्प यात्रा**" भी प्रारम्भ की गई है, जिसमें राज्य के प्रत्येक जिलों में शिविरों का आयोजन कर **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** में लाभ लेने हेतु पात्र परिवारों के ई–के.वाई.सी. के तहत आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे है। वर्तमान में लगभग 1.37 करोड व्यक्तियों की ई–के.वाई.सी. की जा चुकी है। आयुष्मान कार्ड की डिजाईन का अनुमोदन होने के पश्चात कार्ड वितरण का कार्य भी किया जायेगा। "**मेरी कहानी मेरी जुबानी**" कार्यक्रम के तहत उपचारित लाभार्थियों द्वारा अपने अनुभव साझा कर अन्य व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

राज्य सरकार के द्वारा राजकीय अस्पतालों में सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनहित की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना "**मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना**" चरणबद्ध रूप से लागू की गई थी। इस योजना में दिसम्बर, 2023 तक लगभग 66 करोड़ 17 लाख निःशुल्क जाँचें की गई ओर 25 करोड़ 87 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठनों के अनुसार दुनिया की आधी से अधिक आबादी प्रदुषित हवा में सांस ले रही है तथा वायु प्रदुषण के कारण प्रतिवर्ष 70 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है जिसमें से 90 प्रतिशत निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के होते है। इसी परिप्रेक्ष्य में आमजन में "स्वच्छ वायु–बढ़ाए आयु" जैसी भावनाएं विकसित कर जनजागरूकता एवं प्रचार–प्रसार गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार के माध्यम से राज्य में "नेशनल प्रोग्राम ओन क्लाईमेन्ट चेन्ज एण्ड ह्यूमन हैल्थ (एनपीसीसीएचएच)" प्रोग्राम संचालित है।

संचारी, गैर–संचारी तथा अन्य सामान्य व गम्भीर रोगों की रोकथाम, नियन्त्रण व उन्मूलन हेतु विभाग उपचारात्मक, निरोधात्मक तथा प्रोत्साहत्मक उपायों के रूप में निरन्तर सेवाएँ प्रदान कर रहा है। राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अन्धता, एड्स आदि रोगों पर नियन्त्रण तथा कुष्ठ रोग, आयोडीन अल्पता उन्मूलन, फ्लोरोसिस, मानसिक स्वास्थ्य एवं तम्बाकू नियंत्रण, बहरापन, मुख स्वास्थ्य, राष्ट्रीय वायरल हैपेटाईटिस नियंत्रण कार्यक्रम, कैंसर, हृदय, मधुमेह एवं स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम भी विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय सूची	पेज संख्या
1.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियों का विवरण	1
2.	मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना एवं (जॉच) योजना	2
3.	जनता क्लिनिक–शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र	6
4.	चिकित्सा प्रशासन के विविध कार्यक्रम	7
5.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	8
6.	राष्ट्रीय अन्धता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम	10
7.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	13
8.	राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम राजस्थान (NTEP)	17
9.	राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	20
10.	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (NIDDCP)	22
11.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम (NTCP)	25
12.	राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियन्त्रण एवं बचाव कार्यक्रम (NP-NCD) एवं नेशनल प्रोग्राम ओन क्लाईमेन्ट चेन्ज एण्ड ह्यूमन हैल्थ (NPCCHH) राष्ट्रीय वृद्वजन सेवा कार्यक्रम (NPHCE)	26
13.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)	30
14	राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (NPPCD)	34
15	राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (NOHP)	35
16	राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (NPPCF)	37
17	आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना	38
18	आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण	40
19.	भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राजस्थान, जयपुर	45
20.	समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) एवं स्वाईन–फ्लू तथा कोविड–19	47
21.	राष्ट्रीय वायरल हैपेटाईटिस नियंत्रण कार्यक्रम	51
22.	आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	52
23.	स्वास्थ्य विभाग की जेण्डर प्रति संवेदी सूचना	54
24.	सारणियां	56
25.	विभागीय संरचनाऐं	66

1 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियों का विवरण

राज्य सरकार द्वारा राज्य की जनता विशेषकर कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार संक्रामक एवं अन्य रोगों के नियन्त्रण एवं उन्मूलन तथा राज्य में उपचारात्मक एवं निवारक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आमजन को मुख्य धारा में लाने के लिये विभिन्न प्रयास किये गये हैं।

राज्य सरकार चिकित्सा संस्थानों के संरचनात्मक विकास एवं सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए सुनियोजित तरीके से ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एलोपैथिक चिकित्सा संस्थाओं (चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त) की दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:–

चिकित्सा संस्थानों का विवरण (31.12.2023 तक की स्थिति)

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	चिकित्सा (जन–स्वास्थ्य)	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत
1	जिला चिकित्सालय–49 उप जिला चिकित्सालय–71 सैटेलाईट चिकित्सालय–16 अन्य चिकित्सालय–47	183	–
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	813	13 शहरी सामु0 स्वा0 केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमे से 11 संचालित हैं
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण)	2485	–
4	डिस्पेन्सरी	184	–
5	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	118	–
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)	58	143 शहरी प्रा0स्वा0 केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें से वर्तमान में 142 संचालित हैं।
7	उप स्वास्थ्य केन्द्र	15550	–
8	शैय्याऐं*	68034	390

*चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त चिकित्सालयों के अंतरंग रोगी शैय्याएं

वर्ष 2023–24 के दौरान नवीन गतिविधियो का विवरण:

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 में 519 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये
2. 3 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये तथा 297 उप स्वा0 केन्द्रों को प्राथमिक स्वा0 केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया।
3. 83 प्राथमिक स्वा0 केन्द्र को सामुदायिक स्वा0 केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया।
4. 33 सामुदायिक स्वा0 केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया।
5. 6 उप जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया।
6. 2 सैटेलाईट अस्पताल खोले गये।

2 मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना एवं निःशुल्क जांच योजना

बजट घोषणा 2011–12 में राज्य सरकार द्वारा आमजन की आवश्यक औषधियों तक पहुँच बढाने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना'' दिनांक 02 अक्टूबर 2011 से लागू की गई। इस हेतु एक केन्द्रीकृत प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की अनुपालना में दिनांक 04 मई 2011 को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम **(आरएमएससीएल)** का गठन किया गया।

बजट घोषणा 2019–20 की अनुपालना में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत मरीजों को अतिरिक्त औषधियां उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से आवश्यक दवा सूची में कैन्सर, ह्रदय, गुर्दा एवं अन्य रोगो के इलाज हेतु कुल 105 औषधियां एवं 34 सर्जिकल आईटम्स आवश्यक दवा सूची में जोड़े गये।

बजट घोषणा 2022–23 में समस्त राजकीय चिकित्साल्यों में **OPD/IPD** को निःशुल्क करने की घोषणा की गई। जिसके अन्तर्गत ''मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना'' में आवश्यक दवा सूची का विस्तार करते हुए 635 औषधियां, 255 सर्जिकल्स (साईजवार) एवं 78 सूचर्स को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को शामिल करते हुए आवश्यक दवा सूची में कुल 1829 औषधियां, सर्जिकल्स एवं सूचर्स है।

चिकित्सा संस्थान के स्तर अनुसार आवश्यक दवा सूची में नई औषधियां जुडने एवं स्तर परिवर्तन के पश्चात् औषधियों, सर्जिकल एवं सूचर्स की संख्या निम्नानुसार हैः–

	EDL				NRD				
Level	**Drug**	**Surgical**	**Suture**	**Total**	**Drug**	**Surgical**	**Suture**	**Total**	**Grand Total**
MCH	696	174	79	949	547	255	78	880	1829
DH	647	157	46	850	125	101	22	248	1098
CHC	553	125	38	716	52	5	1	58	774
PHC	430	86	16	532	13	3	1	17	549
SC (HWC)	106	10	0	116	5	0	0	5	121
SC	40	10	0	50	0	0	0	0	50

1. साथ ही आमजन की आवश्यक दवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिये पहले से आवश्यक दवा सूची में शामिल औषधियों/सर्जिकल एवं सूचर्स के वितरण स्तर मे बदलाव किया गया, जिससे निचले स्तर (**DH, CHC, PHC, SC**) के चिकित्सा संस्थानों पर आमजन को अधिक मात्रा में औषधियां उपलब्ध हो सकें।
2. **कोविड–19** से संक्रमित रोगियों के उपचार में उपयोगी **Liquid Medical Oxygen (LMO)** एवं **Mucormycosis** के उपचार हेतु **Liposomal Amphotericin B 50mg Injection** को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया गया।
3. 01.04.2019 से भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एवं फैमेली वेलफेयर विभाग द्वारा प्रतिमाह राज्यवार रैकिंग की जा रही है। जिसमें राज्यवार रैंकिंग में राजस्थान राज्य प्रथम पायदान पर चल रहा है।
4. जिला औषधि भण्डार गृह जोधपुर, मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह, अजमेर, जयपुर एवं कोटा में नवीन भवन का निर्माण निगम के स्वयं के स्त्रोतो से कराने की स्वीकृति जारी की गई है। NHM PIP 2022–23/2023–24 में 28 जिला औषधि भण्डार गृहों हेतु अतिरिक्त सिविल निर्माण प्रक्रियाधीन है।
5. बजट घोषणा 2023–24 के अनुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत क्रय की जा रही तापमान संवेदी औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से निगम के अधीन समस्त जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृहों (कुल 40) पर अतिरिक्त **Walk-in-Cooler** की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6. दवाओं की संख्या का भारत के अन्य राज्यों से तुलनात्मक विवरणः–

क्र.सं.	राज्य (निगम) का नाम	दवाओं की संख्या
1	Rajasthan (RMSCL)	1829
2	Tamilnadu (TNMSCL)	1157
3	Gujarat (GMSCL)	756
4	Haryana (HMSCL)	685
5	Himachal Pradesh (HMSCL)	679

7. योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों यथा हिमोफिलिया, कैन्सर रोग, हृदय रोग, डायबिटिज और श्वास एवं दमा की दवाईयां भी उपलब्ध कराई जा रही है। निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही कुछ महंगी औषधियां निम्नानुसार हैः–

Item Name	Rate (Including GST)
Durvalumab 500mg Inj. [NRD-223]	129665
Cetuximab 500mg Inj. [NRD-191]	81760
Avelumab 200 mg Inj. [NRD-158]	72288
Daratumumab400 mg Inj. [NRD-203]	58128
t PA 50mg Alteplase for Injection [NRD-386]	33855

(iv) बजट–

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान	संशोधित प्रावधान	राज्य सरकार से प्राप्त राशि	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त राशि	अन्य प्राप्तियाँ	कोविड–19 फंड (आपदा विभाग एंव एनएचएम)	कुल प्राप्त राशि (5+6+7+8+9)	व्यय वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2020-21	462.73	462.730	462.71	527.05	1.54	139.44	1130.74	819.52
2	2021-22	550.00	-	536.20	514.07	26.00	324.00	1400.27	1236.76
3	2022-23	600.00	700.00	700.00	407.00	0.00	0.00	1107.00	1287.19
4	2023-24 (upto Dec.2023)	800.00	-	400.00	200.00	0.00	0.00	600.00	1186.30

* गैर अंकेक्षित आंकडे।

- निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रावधानों के विरूद्ध औषधियों/सर्जिकल्स एवं सूचर्स एवं सेनटरी नेपकिन हेतु दिनांक 31.12.2023 तक राशि रू. 1579 करोड़ के क्रयादेश जारी किए जा चुके है।
- उक्त राशि में रिस्क एण्ड कोस्टक्रय/एनओएसक्यु वसूली/परिनिर्धारित हानि इत्यादि के समायोजन किए जाने शेष है।
- राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के ईपीएम अनुभाग द्वारा राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों हेतु उपकरणों का क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृतियों व संस्थानों के आधार पर खुली बोली के माध्यम से अनुबंधित की गई दर संविदाकृत फर्मों के माध्यम से कराया जाता है।
- ई–उपकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से तय किये गये *चिकित्सा शिक्षा विभाग के 563 प्रकार के एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 140 प्रकार के* प्रकार के उपकरणों का रख–रखाव व रिपेयर कार्य केन्दीकृत व्यवस्था अंतर्गत **चयनित सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कराया जाता है।**

❖ Equipment Procurement:

- चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न संस्थानों की मांग/ प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतियों के अनुसार चिकित्सा उपकरण/चिकित्सालय आईटम चिकित्सा संस्थाओं को 126 प्रकार के उपकरण उपलब्ध करवाये गए है। गत वर्षों में 600 से अधिक प्रकार के उपकरणों के दर अनुबंध किये जाकर आपुर्ति कराई गई है।

❖ Equipment Repair & Maintenance:

- मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना के अंतर्गत काम आने वाले चिकित्सा शिक्षा विभाग के 563 प्रकार के एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 140 प्रकार के आवश्यक उपकरणों व चिकित्सकिय आईटमों का संधारण आरएमएससीएल के ईपीएम प्रकोष्ठ द्वारा एनएचएम के स्टेट इंवेन्ट्री सैल के सहयोग से किया जा रहा है।
- इस हेतु अप्रैल–2022 से खुली बोली के माध्यम से चयनित सेवाप्रदाता फर्म से अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाकर अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपकरणों के अधिकतम समय तक कार्यशील रखे जाने का कार्य किया जा रहा है।
- इस हेतु वर्तमान में फर्म मैसर्स **Kirloskar Technologies Pvt. Ltd.** द्वारा उक्त संधारण कार्य किया जा रहा है।
- उपकरण संधारण की शिकायतों को दर्ज किये जाने, उनके निवारण संबंधी कार्यवाही आदि को मॉनिटर करने हेतु ई–उपकरण सॉफ्टवेयर प्रयोग में लिया जा रहा है, जिसे सभी हितधारकों की आवश्यकतानुसार समय–समय पर उन्नत भी किया जाता है।

Scope of Maintenance Work:

❖ Repair, Calibration, Training and Preventive Maintenance.

❖ शिकायत पंजीकरण IVRS, e-Upkaran Software and e-Upkaran Mobile Application के माध्यम से।

❖ आवश्यक उपकरण सूची के चिकित्सा शिक्षा विभाग के 563 प्रकार के एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के 140 प्रकार के उपकरण, जिनकी वर्तमान संख्या 1,15,440 है। (Approx. value Rs. 1345.06 Crore)

Financial year wise equipment complaint status:

S. No.	Financial Year	Complaint Raised	Complaint Resolved	In Process
1	**2020-21**	13812	13812	0
2	**2021-22**	17862	17862	0
3	**2022-23**	24700	24700	0
4	**2023-24** ***(Till 19-01-2024)***	30807	29889	918

Quality Control

- The company has its quality control policy and procedures for ensuring quality of drugs, surgicals and sutures supplied by firm/companies and has guidelines in place for blacklisting /debarring of products or company on various grounds.
- The drugs are issued to public health institutions, when these pass all the quality tests and are found as of standard quality. The rejected drugs even if it fails on account of minor reason, are returned to the manufacture.During the year, test reports of 20903 drugs samples were received from empanelled laboratories of RMSCL and out of them 151 batches have been rejected due to Not of Standard Quality (NOSQ) and physicals defects. **Percentage of failure of drugs during the year was 0.72% during the year 2023-24, Nine laboratories were empanelled by company for testing of drugs.**

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (जॉच) योजना

राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनहित की ओर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ''मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना'' चरणबद्ध तरीके से निम्न प्रकार लागू है।

क0सं0	योजना के चरण	योजना की प्रारम्भ तिथि	चिकित्सा संस्थान	जांचों की संख्या	जांचों की संख्या में की गई वृद्धि
1	प्रथम चरण	7 अप्रैल 2013	एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय	90	1033
			मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा आरयूएचएस	90	689
			राजमेस मेडिकल कालेज एवं जिला चिकित्सालय	56	143 (हब एंड स्पोक मॉडल में प्रस्तावित)
			उपजिला / सैटेलाइट चिकित्सालय	56	117 (हब एंड स्पोक मॉडल में प्रस्तावित)
2	द्वितीय चरण	1 जुलाई 2013	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	37	101 (हब एंड स्पोक मॉडल में प्रस्तावित)
3	तृतीय चरण	15 अगस्त 2013	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेंसरी उप स्वास्थ्य केन्द्र	15 14	66 (हब एंड स्पोक मॉडल में प्रस्तावित)

➢ <u>निःशुल्क जाँचों का विवरणः</u>

क्र.सं0	वित्तीय वर्ष	जाँचों की कुल संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	कुल व्यय (राशि करोडों में)
1	2013–14	2,84,98,245	1,54,06,158	152.16
2	2014–15	3,19,99,051	1,93,52,067	118.33
3	2015–16	4,28,65,324	2,29,02,790	134.45
4	2016–17	4,78,12,261	2,39,67,944	140.81
5	2017–18	4,81,87,639	2,02,69,930	167.09
6	2018–19	5,48,43,013	2,14,49,472	253.69
7	2019–20	6,25,19,079	2,28,63,936	253.40
8.	2020–21	3,89,50,873	1,34,91,364	260.33
9	2021–22	6,05,60,036	1,92,42,214	345.33
10	2022–23	12,61,05,852	4,12,13,822	316.27
11	**2023–24** (दिसम्बर 2023 तक)	11,93,34,028	3,85,42,359	223.52
कुल		**66,16,75,401**	**25,87,02,056**	**2365.38**

इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 07 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2023 तक 66 करोड़ 16 लाख 75 हजार 401 निःशुल्क जाँचें की जा चुकी है। जिससे 25 करोड़ 87 लाख 02 हजार 056 व्यक्ति लाभान्वित हुये है।

<u>टेलीरेडियोलॉजीः–</u>

टेलीरेडियोलॉजी मे एक्सरे की जॉच क्लाउड कम्प्युटिंग सॉफ्टवेयर द्वारा की जाती है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के 53 जिला, उप जिला, सेटेलाईट अस्पतालो मे टेलीरेडियोलॉजी के माध्यम से एक्सरे रिर्पोटिंग करवाकर मरीजो को लाभान्वित किया जा रहा है। अगस्त, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक 20,47,345 मरीजों की 26,89,544 एक्सरे इमेजो की रिर्पोटिंग की गई है।

<u>New Initiative : Hub and Spoke Model</u>

वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट घोषणा की पालना अनुसार जाँचों को Hub and Spoke Model पर इन हॉउस केपिसीटी बिल्डिंग करते हुए उपलब्ध करवाया जाना है। जिला चिकित्सालय स्तर पर 143, उपजिला चिकित्सालय स्तर पर 117, सामुदायिक स्वा0 केन्द्रो पर 101 एवं प्राथमिक स्वा0 केन्द्रो पर 66 जॉचो को उपलब्ध करवाया जाना है।

3 जनता क्लिनिक–शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र

माननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2019–20 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 95 की अनुपालना में राज्य के शहरी क्षेत्र के नागरिकों को उनके निवास के नजदीक तत्काल व निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत मोहल्ला/गली में जनता क्लिनिक खोले जाने की घोषणा की गई थी।

जनता क्लिनिक की गाईड लाईन के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्र में जनता क्लिनिक का संचालन मुख्य रूप से कच्ची, सघन बस्तियों एवं राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में किया जाना है, जहां चिकित्सा संस्थान नहीं है। वहां के नागरिकों को अपने निवास के नजदीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही जनता क्लिनिक खोले जाने है। प्रति जनता क्लिनिक कवर की जाने वाली लगभग जनसंख्या–20 हजार तक हैं। जनता क्लिनिक का संचालन पूर्व में भामाशाह/दानदाताओं/स्थानीय निकाय के सहयोग से निर्मित एवं दानस्वरूप भवन आदि में संचालित किया गया हैं।

- **विभाग द्वारा जनता क्लिनिक में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य स्टाफ सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से हैं।** वर्ष 2020–2021 में बजट स्वीकृत किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2021–2022 में भारत सरकार द्वारा 15 वें वित्त आयोग अन्तर्गत शहरी स्वास्थ्य केल्याण केन्द्र (यूएचडब्ल्यूसी) खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान किया गया जिसके तहत प्रति शहरी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र 05 पद (01 चिकित्सा अधिकारी, 01 जीएनएम, 01 एएनएम एवं 02 सपोर्ट स्टाफ) के पद निर्धारित किये गये।
- जनता क्लिनिक एवं शहरी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र योजना समान रूप से होने के फलस्वरूप 15 वें वित्त आयोग भारत सरकार से प्राप्त बजट से खोले जाने का निर्णय लिया गया।
- 15वें वित्त आयोग से निम्नांनुसार शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र–जनता क्लिनिक की स्वीकृति जारी की गईः–

वर्ष	स्वीकृत संस्थान	बजट मद
2021–2022	142	15 वें वित्त आयोग
2022–2023	142	15 वें वित्त आयोग

- प्रधानमंत्री –आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रेक्चर मिशन 2022 (PM-ABHIM) के तहत 47 जनता क्लिनिक– यू. एच.डब्ल्यू.सी पर का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, अनुमोदित राशि 35 करोड रूपये वास्ते, प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करवाया जाकर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
- वितीय वर्ष 2022–23 में PM-ABHIM (प्रधानमंत्री –आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रेक्चर मिशन 2022) के तहत 47 अतिरिक्त शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र–जनता क्लिनिक खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई।
- वर्तमान में 173 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र–जनता क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, शेष संस्थान खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।
- 15वें वित्त आयोग प्रदत्त राशि से शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र–जनता क्लीनिक पर विशेषज्ञ सेवाओं (यथा मेडीसन, गायनी, शिशु रोग, मनोचिकित्सक, हड्डीरोग व दन्त रोग) हेतु वर्ष 2021–2022 में 48 पॉली क्लिनिक के लिए 6.70 करोड रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। इन विशेषज्ञों को सप्ताह में निश्चित दिन सेवाऐं देने पर दो घन्टे के लिए अधिकतम रूपये 2000/–के मानदेय पर रखा जायेगा।

4 चिकित्सा प्रशासन के विविध कार्यक्रम

पीपीपी (सार्वजनिक निजी सहभागिता) मोड से संचालित

1. सीटी स्कैन मशीनः–

आमजन को निःशुल्क सीटी स्केन जाँच हेतु 29 राजकीय जिला चिकित्सालय एवं 1 उपजिला चिकित्सालय सोजतसिटी (पाली) में पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन मशीन संचालित है।

2. एमआरआई मशीनः–

आमजन को निःशुल्क एमआरआई जाँच हेतु 4 राजकीय जिला चिकित्सालय यथा अलवर, सीकर, भीलवाड़ा एवं कांवटिया (जयपुर) में एमआरआई मशीन पीपीपी मोड पर संचालित है।

3. हिमोडायलेसिस केन्द्रोंः–

आमजन को निःशुल्क हिमोडायलिसिस सुविधा राज्य के 34 जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय चिकित्सालयों में पीपीपी मोड/विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

4. आईवीएफ केन्द्रों का संचालनः–

निःसन्तान दम्पत्ती को सस्ती आईवीएफ सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8 राजकीय चिकित्सालयों में आईवीएफ केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

ट्रोमा केयर फेसेलिटिज राजस्थान

वर्तमान स्थिति–

- राजस्थान मे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 93 ट्रोमा सेन्टर संचालित है।
- परिवहन विभाग के सहयोग से 99 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्राइमरी ट्रोमा सेन्टर संचालित हैं।
- उपलब्ध मानव संसाधन व उपकरणों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को सेवाऐं दी जा रही हैं।

5 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष 1873 में नार्वे के वैज्ञानिक सर आरमर हेन्सन ने माइक्रोवैक्टी लैप्री बैसीलाईज की खोज की। यह बैसीलाईज आर्मडिल्लो के फुट पैड में करोड़ों की संख्या में पाये जाते है। भारत सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम वर्ष 1955 में लागू किया गया, जिसे राजस्थान में वर्ष 1970–71 में प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1982 में मल्टी ड्रग थेरेपी (एमडीटी) औषधि व्यापक रूप से उपयोग में लायी गयी। वर्ष 1983 में उक्त कार्यक्रम को ''राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम'' के रूप में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रहित कार्यक्रम है, परन्तु राज्य में कार्यक्रम के मूल्यांकन व कुष्ठ रोगियों की त्वरित खोज हेतु जिलों को लक्ष्य आवंटित किये जाते है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

- कुष्ठ रोग का प्राथमिक अवस्था में पहचान कर शीघ्र पूर्ण उपचार करना।
- संक्रामक रोगियों का शीघ्र उपचार कर संक्रमण की रोकथाम।
- नियमित उपचार द्वारा विकलांगता से बचाव।
- विकृतियों का उपचार कर रोगियों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाना।
- स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समाज में इस रोग के सम्बन्ध में फैली गलत भ्रान्तियों को दूर करना।

राज्य में दिसम्बर, 2023 तक 1175 रोगी उपचार प्राप्त कर रहे है एवं राज्य की कुष्ठ रोग प्रसार दर 0.14 प्रति दस हजार जनसंख्या है। जबकि कुष्ठ रोग की राष्ट्रीय प्रसार दर 0.63 प्रति दस हजार जनसंख्या है।

राज्य में कुष्ठ रोग की रोकथाम हेतु निम्नांकित उपाय किये जा रहे है :–

राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अन्य चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत सभी चिकित्सा अधिकारियों, पैरा मेडिकल एवं मेडिकल स्टाफ को उक्त कार्यक्रम की बेसिक/ओरियंटेशन ट्रेनिंग देकर कार्यक्रम को अधिक गति देने हेतु तैयार किया गया है तथा सभी चिकित्सा संस्थानों पर निःशुल्क औषधि उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है।

मुख्य गतिविधियॉ

- कुष्ठ रोगियों की प्रारम्भिक अवस्था में खोज हेतु आशा सहयोगनियों को कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम से जोड़ा गया है, इन्हे रोग संबंधी प्रशिक्षण देकर कुष्ठ रोगी की खोज एवं उपचार दिलवाये जाने पर निम्नांनुसार मानदेय दिए जाने का प्रावधान है :–

(अ) नये कुष्ठ रोगी के रूप में जॉच कन्फर्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन पर देय मानदेय (आशा सहयोगनी/ऑगनबाडी कार्यकर्त्ता/स्वयंसेवक एवं अन्य किसी भी व्यक्ति)

I. दृश्य विकृति से पूर्व पहचान होने पर – 250 रूपये
II. हाथ, पैर व ऑख में दृश्य विकृति पश्चात् पहचान होने पर– 200 रूपये

(ब) पूर्ण उपचार पश्चात देय मानदेय (केवल आशा सहयोगनियों को)

I. पी.बी. केसेज के लिए – 400/– रूपये
II. एम.बी. केसेज के लिए – 600/– रूपये

- कुष्ठ रोगियों को निःशुल्क मल्टी ड्रग थेरेपी (एम.डी.टी.) औषधि, सहायक औषधियॉ (वेसलीन, गॉज, बेन्डेज, ऑइन्टमेन्ट, पेन किलर, एन्टीबायोटिक, एन्टी रिएक्सनरी आदि) तथा डी.पी.एम.आर– गोगल्स, एम.सी.आर. चप्पल, क्रेचेज, वॉकिंग स्टिक आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाते है।
- समाज में कुष्ठ रोग संबंधी फैली गलत धारणाओं को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रचार–प्रसार गतिविधियॉ संपादित की जाती है, जैसे – नुक्कड नाटक, नारा लेखन, फ्लेक्स बेनर, पम्पलेट, टी.वी. स्पॉट, होर्डिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं आई.पी.सी. वर्कशॉप आदि।

- चिकित्सा अधिकारी, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं आशा सहयोगनियों को कुष्ठ रोग सम्बन्धी प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जा रहें हैं।
- **फोकस लेप्रोसी केम्पेन गतिविधि के तहत विकृति ग्रेड द्वितीय रोगी चिन्हित होने पर रोगी के आस–पास के शहरी क्षेत्र में 300 घरों का एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्पूर्ण गॉव का सर्वे करवाया जाता हैं।**
- विकलांगता की रोकथाम एवं चिकित्सा पुनर्वास गतिविधि (डीपीएमआर) के तहत रि–कन्स्ट्रेक्टिव करवाने वाले कुष्ठ रोगी 8000/– रूपये एवं रि–कन्स्ट्रेक्टिव सर्जरी करने वाले चिकित्सा संस्थान को 5000/– रूपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2023–2024 (दिसम्बर, 2023) तक कुल 91 विकृति वाले कुष्ठ रोगियों की रि–कन्स्ट्रेक्टिव सर्जरी करवायी गयी।
- **Post Exposure Prophylaxis (PEP)**:–इस गतिविधि के तहत नये कुष्ठ रोगी के सम्पर्क में आने वाले योग्यजन को कुष्ठ होने की सम्भावना से बचाने हेतु सिंगल डोज रिफापमिसिन (एस.डी.आर.) की एक खुराक दी जाती है।
- **कुष्ठ रोगी खोजी अभियान** :–समाज में छिपे हुए कुष्ठ रोगी को खोजने हेतु कुष्ठ रोगी खोजी अभियान के तहत घर–घर जाकर सर्वे कर समाज में छिपे हुए कुष्ठ रोगियों की खोज की जाती है।

स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान (एन्टी लेप्रोसी पखवाडा)

- उक्त अभियान दिनांक 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलाया जाता हैं।
- दिनांक 30 जनवरी को कुष्ठ दिवस पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी एवं ग्राम सभा प्रमुख का अभिभाषण करवाया जाता हैं।
- उक्त अभियान के दौरान कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता लाने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रचार प्रसार गतिविधियॉ जैसे जिला कलेक्टरों द्वारा जनता के नाम संदेश, ग्राम सभायें, स्कूल क्विज, बेनर, पोस्टर, पम्पलेट, माईकिंग इत्यादि सम्पादित की जाती है।
- पखवाडे के दौरान आशा एवं एएनएम के माध्यम से एम.बी. एवं चाईल्ड कैसेज के आस–पास के 50 घरों का सर्वे करवाया जाता हैं।

कार्यक्रम की भौतिक प्रगति रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष	नये खोजे गये कुष्ठ रोगी			उपचार पश्चात् रोग मुक्त किये गये रोगी			प्रसार दर प्रति 10000 जनसंख्या	
	लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति	राज्य	राष्ट्रीय
2020-2021	1120	625	55.80	1157	763	65.95	0.13	0.40
2021-2022	1000	858	85.80	1019	942	92.44	0.11	0.45
2022-2023	1000	1267	126.70	935	739	79.03	0.14	0.63
2023-2024 (दिसम्बर, 2023 तक)	1200	871	72.58	1151	847	73.59	0.14	0.63

कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन विगत वर्षों में खोजे गये नये कुष्ठ रोगियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला रोगियों की संख्या

वित्तीय वर्ष	राज्य में खोजे गये नये रोगी	पुरूष रोगी	महिला रोगी	महिला प्रतिशत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2020–2021	625	450	175	28.00	87	63
2021–2022	858	619	239	27.86	140	150
2022–2023	1267	916	351	27.70	175	161
2023–2024 (दिसम्बर, 2023 तक)	871	626	245	28.13	112	101

6 राष्ट्रीय अन्धता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम

अंधत्व **(ब्लाइंडनेस)** देश में जनस्वास्थ्य की प्रमुख समस्याओं में से एक है जिसकी संख्या तकरीबन 12 मिलियन है। सन् 1976 की संभावित अंधत्व दर 1.4 प्रतिशत से वर्ष 2020 में 0.30 प्रतिशत तक लाने के लिए नेत्र सुरक्षा सेवा हेतु संरचनात्मक, मानविकी संसाधनों में अभिवृद्धि की गई। सन् 1976 में **राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत** की गई। वर्ष 2007 के सर्वेक्षण के आधार पर अंधत्व की संभावित दर घटकर 1 प्रतिशत एवं 2015–19 के दरम्यान सीकर एवं सिरोही जिले एवं अन्य राज्यों के चुनिंदा जिलो में हुए सर्वेक्षण के आधार पर यह दर घटकर 0.36 प्रतिशत है।

मोतियाबिन्द अंधत्व का एक मुख्य कारण है, जो कुल अंधत्व जनसंख्या (Blind Population) का दो–तिहाई भाग है। अंधत्व के अन्य प्रमुख कारण चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस एवं लो–विजन, रिफ्रेक्टिव एरर, ग्लूकोमा, डायबिटिक रैटिनोपैथी, ओक्यूलर इंजरी, रैटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है।

उद्देश्यः

1. दृष्टि हानि के आंकलन के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर अंध व्यक्तियों की पहचान कर दूर करने योग्य अंधत्व को उपचार के माध्यम से दूर कर बैकलॉग को कम करना।
2. सर्वजन को वृहद स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण नेत्र सुरक्षा सेवा प्रदान करने की रणनीति को विकसित एवं मजबूत कर दृष्टि हानि की रोकथाम करना।
3. नेत्र सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों यथाः मेडीकल कॉलेज, जिला एवं उपजिला अस्पताल एवं अन्य सहयोगी प्राथमिक दृष्टि केन्द्रों में नेत्र विज्ञान की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्टता हेतु **नेत्र विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान** का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना।
4. जिलों में उपलब्ध संरचनात्मक नेत्र सुरक्षा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और उच्च स्तर की समेकित नेत्र सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मानवीय संसाधनों का विकास करना।
5. विभिन्न समुदायों में नेत्र सुरक्षा एवं निवारक उपायों के बारे में जनजागरूकता बढ़ाना।
6. अंधत्व अनुसंधान में अभिवृद्धि करना।
7. स्वयं सेवी संस्थाओं /निजी चिकित्सकों द्वारा नेत्र सुरक्षा सेवा प्रदान करना।

प्रमुख गतिविधियॉ

मोतियाबिन्द ऑपरेशनः राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों यथा–मेडीकल कॉलेज/जिला/सैटेलाईट/ उपजिला अस्पताल एवं सीएचसी में निःशुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन किया जाता है, साथ ही विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर नेत्र रोग का परीक्षण कर स्वयं के मुख्य अस्पताल में निःशुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन किया जाता है। **वर्तमान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में राजस्थान मेडीकल रिलीफ सोसायटी को प्रति मोतियाबिन्द ऑपरेशन राशि रू. 1000/– और एनजीओ/प्राईवेट प्रेक्टिसनर्स द्वारा निःशुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन करने पर अनुदान राशि रू. 2000/– पुनर्भरण राशि दिए जाने का प्रावधान है।**

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य प्रतिशत
2020–2021	3,30,000	114783	34.78
2021–2022	3,30,000	225182	68.24
2022–2023	3,08,700	314599	101.91
2023–2024 (दिसम्बर, 2023 तक) अनंतिम	3,70,500	222548	60.07

नेत्रदान केन्द्र, आई बैंक एवं नेत्र प्रत्यारोपण केन्द्रः राजकीय एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत आई बैंक, मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय और स्वयं सेवी संस्थाऐं आपसी समन्वय के साथ अधिक से अधिक कॉर्निया एकत्रित कर आई बैंक को भिजवाकर जरूरतमंद कॉर्नियल ब्लाईण्ड मरीजों को लाभान्वित किया जाता है। वर्तमान में राज्य में कुल 9 आई बैंक है जिनमे से 6 राजकीय क्षेत्र में (राजकीय मेडीकल कॉलेज, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर एवं जोधपुर) एवं 3 निजी क्षेत्र में (आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान, जयपुर, ग्लोबल आई बैंक–सिरोही, शंकरा आई हॉस्पीटल– जयपुर) कार्यशील हैं। 24 नेत्रदान केन्द्र एवं 51 नेत्र प्रत्यारोपण केन्द्र है।

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य नेत्र संग्रहण	प्रगति नेत्र संग्रहण	नेत्र प्रत्यारोपण	नेत्र संग्रहण की उपलब्धि का प्रतिशत
2020–2021	2000	928	752	46.40
2021–2022	2000	1501	1108	75.05
2022–2023	3000	2971	1935	99.03
2023–2024 (दिसम्बर, 2023 तक) अनंतिम	3000	2430	1514	62.30

स्कूल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम : इस कार्यक्रम अन्तर्गत 6–18 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष	स्क्रीनिंग किये बच्चों की संख्या	रिफ्रेक्टिव एरर वाले बच्चों की संख्या	वितरित किये गये चश्मों का विवरण		
			लक्ष्य	वितरण	प्रतिशत
2020–2021	कोविड–19 संक्रमण के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में स्कूली बच्चों की ऑखों की जाँच एवं चश्मा वितरण का कार्य नहीं हो पाया हैं।				
2021–2022	325021	47987	65000	49804	76.62
2022–2023	950817	68904	65183	62961	96.59
2023–2024 (दिसम्बर, 2023 तक) अनंतिम	स्कूल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम के तहत बच्चों को निःशुल्क चश्मा वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन हैं				

नजदीकी चश्मा वितरण कार्यक्रमः 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों को पढ़ने वाले (नजदीकी) चश्मों का निःशुल्क वितरण करना।

अन्य नेत्र रोग उपचार सेवा

स्वयं सेवी संस्था (एनजीओ) और निजी चिकित्सकों द्वारा स्वयं के चिकित्सालय में अन्य नेत्र रोग का निःशुल्क इलाज करने पर अनुदान राशि दी जाती है।

- डायबिटिक रेटिनोपैथी केस राशि रू. 2000/–
- ग्लूकोमा राशि रू. 2000/–
- कॉर्नियल ट्रान्सप्लान्टेशन राशि रू. 7500/–
- विट्रियो रेटिनल सर्जरी राशि रू. 10,000/–
- चाइल्ड हुड ब्लाइण्डनेस राशि रू. 2000/–

इसके लिए स्वंय सेवी संस्थाओ व प्राईवेट अस्पतालों के माध्यम से उक्त योजना का लाभ जन–सहयोग को देने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण दिवसः–

- प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के द्वितीय गुरूवार को **विश्व दृष्टि दिवस** मनाया जाता है।
- प्रति वर्ष मार्च के द्वितीय सप्ताह में **ग्लूकोमा सप्ताह** मनाया जाता है।
- नेत्रदान पखवाड़ा प्रति वर्ष 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक मनाया जाता है।

वित्तीय स्थिति

(राशि रूपये लाखों में)

वित्तीय वर्ष	पीआईपी आवंटन राशि	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि
2020–2021	3556.41	1042.35	685.33
2021–2022	3974.47	–	1638.53
2022–2023	4741.97	4741.97	1856.23
2023–2024 (दिसम्बर 2023 तक) अंनंतिम	4766.97	2381.00	1818.33

7 राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य में राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य एड्स महामारी के प्रसार को रोकना एवं बढ़ती दर को कम करना है।

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी की गतिविधियों द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में किये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. **गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाऐं (TI) :** Core जनसंख्या जैसे महिला यौन कर्मियों, पुरूष का पुरूष के साथ यौन संबंध, सुई के जरिये साझा नशा करने वाले तथा ब्रिज जनसंख्या जैसे प्रवासी व ट्रकर्स के उच्च जोखिम व्यवहार को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक रोकथाम को लक्ष्य मानकर एच.आई.वी. संक्रमण की रोकथाम हेतु यौन व्यवहार परिवर्तन के लिए परामर्श, यौन रोग उपचार, निःशुल्क कण्डोम व सुई/सिरिंज वितरण इत्यादि कार्य विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 44 लक्षित परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य उच्च जोखिम वर्ग के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है एवं आमजन में एच.आई.वी. संक्रमण के प्रवेश को रोकना है। इसके अतिरिक्त जयपुर, उदयपुर व अजमेर बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन पर आवागमन वाले प्रवासियों की एचआईवी जागरुकता हेतु 03 ट्रांजिट इण्टरवेन्शन तथा 01 लिंक वर्कर भी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यरत है।

2. **यौन रोग उपचार एवं नियन्त्रण** : राज्य में सभी मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित चिकित्सालयों, जिला मुख्यालयों एवं चयनित केन्द्रों के राजकीय अस्पतालों में 53 एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लिनिक कार्यरत है। इन सभी केन्द्रों पर यौन रोगियों को निःशुल्क परामर्श, जाँच एवं दवाईयाँ दी जा रही है। यौन रोगियों के समय पर इलाज नहीं करवाने की स्थिति में एच.आई.वी./एड्स होने की सम्भावना 10 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। अतः एच.आई.वी. संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु अधिक जोखिम वर्ग के लिये 41 एस.टी.डी. क्लिनिक, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के माध्यम से कार्यरत हैं।

Total No. of STI/RTI Episodes managed at STD clinics	**2023-24 (Upto December 2023)**
Govt. STD Clinics	202197
NGO STD Clinics	23223

3. **रक्त सुरक्षा :** राज्य में 58 रक्त बैंक राज्य सरकार, 7 रक्त बैंक केन्द्र सरकार एवं 179 रक्त बैंक निजी क्षेत्र सहित कुल 244 रक्त बैंकों के माध्यम से जरूरतमंदों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है।

Financial Year	**Total Blood samples collection**	**Voluntary Blood Donation Collection**
2023-24 (Upto December 2023)	**600348**	**4494445 (75%)**

इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक/गैर सरकारी क्षेत्र में रक्त अवयव पृथक्कीकरण इकाईयों द्वारा रक्त अवयव उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

4. **एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र (ICTC)** : राज्य में 157 Stand alone ICTC सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयों तथा अधिक एच.आई.वी. संक्रमण की दर वाले जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 8 PPP Stand alone ICTC, 3231 Facility Integrated ICTC, 105 PPP ICTC एवं 151 CBS ICTC कार्यरत है। इन सभी केन्द्रों पर एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धी जानकारी, परामर्श एवं जॉच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन

केन्द्रों पर एच.आई.वी. संक्रमित महिला से नवजात शिशु में संक्रमण के रोकथाम हेतु गर्भवती महिला तथा शिशु को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है तथा स्वस्थ व सार्थक जीवन हेतु परामर्श व संदर्भ सेवाऐं उपलब्ध कराई जाती है।

Total HIV tests at ICTC during the Financial year 2023-24 (Upto December 2023)	Tested			HIV संक्रमित पाये गये व्यक्ति	संक्रमित प्रतिशत SAICTC
	SAICTC	FICTC	TOTAL		
General Client	770547	1050140	1820687	5123	0.28%
Pregnant Women	418998	1110348	1529346	353	0.02%

5. **कण्डोम प्रमोशन :** सोसायटी द्वारा जनसामान्य के बीच कन्डोम उपलब्धता को सरल बनाने हेतु सभी एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्रों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित, लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाओं में निःशुल्क कण्डोम उपलब्ध कराये जाते है, साथ ही सोशियल मार्केटिंग के माध्यम से भी कण्डोम की उपलब्धता है।

6. **एच.आई.वी./एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम (RNTCP) :** एचआईवी/एड्स रोगियों में टी.बी. होने की सम्भावना अधिक होती हैं इसलिए राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में समन्वय हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कार्यशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराया जाता है, दोनों रोग से ग्रसित रोगियों का उपचार आपसी सहयोग/समन्वय द्वारा किया जाता है एवं आपसी रेफरल को बढ़ावा दिया जाता है।

7. **अवसरवादी संक्रमणों हेतु निःशुल्क औषधि वितरण :** एड्स रोगियों को कम लागत वाली चिकित्सा की उपलब्धता के अर्न्तगत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों व जिलास्तरीय अस्पतालों में एच.आई.वी./एड्स रोगियों में अवसरवादी संक्रमणों के निदान हेतु **एच.आई.वी. पॉजीटिव व्यक्तियों को बी.पी.एल. मानते हुए** मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क दवा वितरण व चिकित्सकीय जॉच की व्यवस्था की गई है।

8. **स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव** : एच.आई.वी./एड्स रोगियों के उपचार के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों को आकस्मिक एक्सपोजर के बाद एच.आई.वी. संक्रमण से बचाने हेतु एन्टीरिट्रो वायरल दवा की उपलब्धता (पी.ई.पी.) सभी एच. आई.वी. जॉच केन्द्रों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पतालों में सुनिश्चित कराई गई है।

9. **ए.आर.टी. सेन्टर** : राज्य में 28 ए.आर.टी. सेन्टर एवं 8 पीपीपी ए.आर.टी. सेन्टर संचालित हैं इसके साथ ही 21 लिंक ए.आर.टी. सेन्टर भी कार्यरत है। जहाँ पर एड्स के मरीजों को एन्टी रिट्रो वायरल औषधियॉ निःशुल्क वितरित की जा रही हैं।

दिसम्बर 2023 तक ए.आर.वी. ड्रग ले रहे कुल व्यक्तियों की संख्या	पुरूष	महिला	बच्चे	अन्य
59656	29792	25651	4115	98

10. **सेन्टीनल सर्वेलैन्स :** निश्चित अवधि, जगह व नमूनों के आधार पर दो वित्तीय वर्षो में एक बार एच.आई.वी. संक्रमण की दर ज्ञात करने हेतु चिन्हित चिकित्सा संस्थानों/एन.जी.ओ./जेल में सेम्पल सर्वे तीन माह की अवधि के लिये करवाया जाता है।

Sentinel Surveillance		2016-17	2018-19	2019-2020	2020-2021	2022-23
1	Prevalence in ANC Site	0.29%	0.14%	सर्विलांस क्रियान्वित नहीं हुआ	0.14%	नाको द्वारा सूचना अपेक्षित हैं।
2	Prevalence in FSW Site	1.40%	सर्विलांस क्रियान्वित नहीं हुआ		नाको द्वारा सूचना अपेक्षित हैं	
3	Prevalence in MSM Site	4.80%				
4	Prevalence in TG Site	2.80%				
5	Prevalence in Migrant Site	0.80%				
6	Prevalence in Trucker Site	0.40%				
7	Prevalence in Prison Site	NA		0.50	0.70%	

वित्तीय वर्ष 2022—23 का सर्विलांस 35 ए.एन.सी. साइट व 4 जेल साइट पर तीन माह के लिए चलाया गया, जिसके तहत् 15600 सेम्पल एच.आई.वी. व अन्य जॉच के लिए एकत्रित किये गये। वर्ष 2019—2020 में 3 जेल साइट पर सर्विलांस क्रियान्वित किया गया जिसके तहत प्रत्येक साइट से 400 सेम्पल एकत्रित किये। वित्तीय वर्ष 2020—21 का सर्विलांस 35 ए.एन.सी. व 3 जेल साइट पर तीन माह के लिये चलाया गया।

11. **सूचना, शिक्षा व संचार** : राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रभावी तथा कारगर उपकरण है। एड्स जागरूकता अभियानों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में विभिन्न गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलाई जा रही है। नेशनल एड्स कन्ट्रोल संगठन द्वारा निर्देशित विभिन्न दिवसों यथा रक्तदाता दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व युवा दिवस, विश्व एड्स दिवस इत्यादि राज्य एवं जिला स्तर पर रक्तदान शिविर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम जैसेः— संगोष्ठियॉ, पोस्टर, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि आयोजित किये जाते हैं।

प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक माध्यम से (समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन) एड्स नियन्त्रण अभियान, प्रोमो, फोन इन प्रोग्राम द्वारा प्रचार—प्रसार किया जा रहा है। लोक कलाकारों के माध्यम से स्थानीय भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, पारम्परिक मेलों एवं त्यौहार में एड्स जन—चेतना हेतु कार्यक्रम प्रदर्शन एवं आई.ई.सी. सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

राज्य के 32 जिलों के सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों के युवाओं में एच.आई.वी. के प्रति जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के माध्यम से रेड रिबन क्लब बनाए गए हैं। वर्तमान में राज्य में 715 रेड रिबन क्लब कार्यशील हैं एवं आउट ऑफ स्कूल यूथ कार्यक्रम के अन्तर्गत 33 जिलो मे 6425 पीयर एज्यूकेटर बनाये गये हैं। पीयर एज्यूकेटर द्वारा कॉलेजों में एच.आई.वी / एड्स एवं स्वैच्छिक रक्तदान की जानकारी प्रदान की जाती हैं।

12. **EQAS** (External Quality Assurance Scheme) के तहत् एच.आई.वी / एड्स सम्बन्धी जांच की गुणवत्ता को कायम रखने हेतु चिन्हित एस.आर.एल. में जाँच केन्द्र प्रभारी एवं तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही जाँच रिपोर्ट को क्वालिटी चेक हेतु स्टेट रेफरल लेबोरेट्री तथा नेशनल रेफरल लैबोरेट्री स्तर पर भेजे जाते है।

13. **मुख्य धारा परियोजना** : एच.आई.वी. मेनस्ट्रीमिंग एक ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा एच.आई.वी. विषय को समस्त विभागों, संस्थाओं द्वारा संचालित आन्तरिक व बाह्य विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं नीतियों में शामिल किया जाता है। विशेषकर वहाँ, जहाँ एच.आई.वी. विषय पर साधारणतः बात नही की जाती हो। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागो के कर्मचारियों, फ्रन्टलाईन वर्कर्स (आंगनबाडी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., स्वयं सहायता समूह एवं आशा) इण्डस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) एवं गैर सरकारी संगठनो व सामुदायिक संगठनों आदि को एच.आई.वी. / एड्स एवं मुख्यधारा विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षणों में एच.आई.वी. / एड्स, कलंक एवं भेदभाव कम करना, एचआईवी से जुडी सेवायें, यौन संचारित संक्रमण, स्वैच्छिक रक्तदान को

बढ़ावा एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी से सम्बन्धित विषय रखें जाते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अपने विभाग के अन्तर्गत एच.आई.वी./एड्स कमेटी का गठन भी किया गया है और एच.आई.वी. विषय पाठ्यक्रम में जोड़ लिया गया है। टोल फ्री हैल्प लाईन नम्बर 1097 पर कॉल करने वाले लोगों को एचआईवी पर शिक्षित करने और परामर्श देने के अलावा शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं, जिनका सोसायटी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र निराकरण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 6258 प्रतिभागियों को मुख्यधारा के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया।

गत वर्षो में एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न इकाईयों की प्रगति :–

वर्ष	रक्त बैंकों के नमूने		रक्त पृथक्कीकरण इकाईयों द्वारा तैयार किये गये अवयव नमूने	एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र		राजकीय एस.टी.डी. क्लिनिकों पर उपचारित किए गए एसटीआई रोगियों की संख्या
	रक्त संग्रहण	नमूने जो एलिजा जॉच में एचआईवी रिऐक्टिव पाये गये		जाँचे गए नमूने	एच.आई.वी. पॉजीटिव	
2020	719398	590	1398590	2475276	4605	250248
2021	556382	468	1003054	1741507	3596	95887
2022	964600	837	1814279	3627063	6704	183185
2023	811446	1039	1608977	3615779	6955	204502

8 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) :– वर्ष 2025 तक देश से क्षय उन्मूलन के लक्ष्य हेतु वर्तमान में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के नाम से संचालित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त सम्भावित क्षय रोगियों की निःशुल्क जाँच की जाती है एवं क्षय रोग पाये जाने पर स्वास्थ्यकर्मी की देखरेख में राज्य के समस्त चिकित्सा संस्थानों पर क्षय निरोधक औषधियों का प्रतिदिन निःशुल्क सेवन कराया जाता है। इसके अन्तर्गत जटिल टी.बी. (डी.आर.–टी.बी.) रोगियों को उपचार भी उपलब्ध कराया जाता हैं।

डी.आर.–टी.बी रोगियों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त जिलों में जिला डी.आर.–टी.बी. केन्द्र स्थापित किये गये है जिनमें डी.आर.–टी.बी. रोगियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स ज्ञात करने हेतु राज्य में नॉट लैब कार्यशील है एवं यह जाँच निःशुल्क की जाती है।

निक्षय पोषण योजना (NPY) :– कार्यक्रम के तहत 01 अप्रैल, 2018 से इलाज ले रहे प्रत्येक रजिस्टर्ड क्षय रोगियों को निक्षय पोषण योजना (NPY) के तहत इलाज अवधि के दौरान पौष्टिक आहार हेतु 500/–रू0 प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में सहायता राशि दी जाती है।

निक्षय :–समस्त टी.बी. रोगियों की टी.बी रोग से संबंधित सभी सूचनाएं निक्षय सॉफ्टवेयर पर इन्द्राज की जाती है।

नोटिफिकेशन

सैक्टर	वर्ष 2022#			वर्ष 2023*		
	लक्ष्य	प्राप्ति	उपलब्धि प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	उपलब्धि प्रतिशत
पब्लिक	117000	126675	108.27	137000	122915	89.72
प्राइवेट	63000	42847	68.01	43000	40520	94.23
कुल	**180000**	**169522**	**94.18**	**180000**	**163435**	**90.80**

यूडीएसटी

सैक्टर	वर्ष 2022#			वर्ष 2023*		
	लक्ष्य	प्राप्ति	उपलब्धि प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	उपलब्धि प्रतिशत
पब्लिक	97601	76851	78.74	95372	78563	82.38
प्राइवेट	28505	11641	40.84	26306	12500	47.52
कुल	**126106**	**88492**	**70.17**	**121678**	**91063**	**74.84**

एचआईवी

सैक्टर	वर्ष 2022#			वर्ष 2023*		
	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
पब्लिक	131893	127794	96.89	128881	114063	88.50
प्राइवेट	38520	36978	96.00	35549	31432	88.42
कुल	**170413**	**164772**	**96.69**	**164430**	**145495**	**88.48**

निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई)
नोटिफिकेशन के विरूद्ध बैंक डिटेल इन्द्राज

सैक्टर	वर्ष 2022*			वर्ष 2023*		
	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
पब्लिक	133216	122257	91.77	118731	105915	89.21
प्राइवेट	39256	31765	80.92	34512	27094	78.51
कुल	**172472**	**154022**	**89.30**	**153243**	**133009**	**86.80**

As per TBC India Report
*As on 08.01.2024(निक्षय सॉफ्टवेयर के अनुसार)।

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्मिकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण दिसम्बर, 2023 की स्थिति में निम्नांनुसार हैं

State & District	sanction post	working post	vacant post
State HQ	70	41	27
District Level	884	580	304
TOTAL	**954**	**621**	**331**

राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सम्मान

1. टीबी फ्री सर्टिफिकेशनः– वर्ष 2021–22 में 01–सिल्वर मेडल (बाडमेर) एवं 03 – ब्रॉन्ज मेडल (प्रतापगढ, बारां एवं सीकर) से तथा वर्ष 2022–23 में 04 – सिल्वर मेडल (जैसलमेर, जालौर, भीलवाडा एवं बारां) एवं 04 – ब्रॉन्ज मेडल (बांसवाडा, कोटा, राजसमन्द एवं उदयपुर) से जिलों को टीबी फ्री की ओर अग्रसर होने पर सम्मानित किया गया।
2. टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान :–राष्ट्रीय एसीएसएम कार्यशाला में बेस्ट प्रैक्टिस में श्रेष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया।
3. पीपीआईएस (प्राईवेट प्रोवाईडर इन्सेन्टिव स्कीम) :– इनोवेशन एवं बेस्ट प्रेक्टिस में श्रेष्ठ कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया।

टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान :–वर्ष 2022–23 में 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया।

सिलिकोसिस (Silicosis)

सिलिकोसिस व्यवसायिक जनित फेफडों का रोग है जो कि खान में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा श्वास लेने से क्रिस्टलीय सिलिका के कणों के फेफडों में एकत्र होने से होता है। रोगी को शुरूआत में श्वास लेने में परेशानी होती है। धीरे–धीरे श्वास में कठिनाई व खांसी लगातार बढती रहती है। सिलिकोसिस का कोई पूर्ण उपचार नहीं है, बचाव ही उपचार है। अतः रोगी को धूल के सम्पर्क में आने एवं धूम्रपान से बचना चाहिये, क्योंकि इससे रोग बढता है। रोकथाम इलाज से बेहतर है तथा इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है।

- राज्य में सिलिकोसिस से 20 जिले एवं 34 ब्लॉक प्रभावित है। प्रभावित जिलों के नाम अजमेर, अलवर, बांसवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौडगढ, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, राजसमंद एवं उदयपुर है।
- राज्य के सभी 33 जिलों में सिलिकोसिस मरीज की पहचान एवं प्रमाण–पत्र देने हेतु प्रमाणीकरण का सरलीकरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नये सिलिकोसिस पोर्टल पर कर दिया गया है, जो 1 मई, 2022 से राज्य में प्रारम्भ किया गया है एवं वर्तमान में सभी जिलों में कार्यरत हैं।
- सिलिकोसिस प्रमाण पत्र के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से रोगी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सिलिकोसिस प्रभावित व्यक्तियों के हितार्थ राज्य सरकार द्वारा Policy on Pneumoconiosis including Silicosis Detection, Prevention, Control & Rehabilitation 2019 जारी की गई। नई पॉलिसी के तहत सिलिकोसिस ग्रसित रोगी को चिन्हित होने पर पुर्नवास सहायतार्थ 3 लाख रूपये, मृत्यु उपरान्त आश्रितों को 2 लाख रू. की आर्थिक सहायता एवं दिव्यांगता अनुसार पेंशन स्वीकृत की जाती है। अंतिम संस्कार हेतु 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता एवं पारिवारिक जीवन यापन हेतु विधवा पेंशन और अन्य लाभ प्रदान किये जाते है।
- वर्ष 2015–2023 तक राज्य में समस्त जिलों में सिलिकोसिस संभावित रोगी की जॉच कर जिला/मेडिकल न्यूमोकोनिओसिस बोर्ड द्वारा (दिसम्बर 2023 तक) 40983 सिलिकोसिस प्रभावित मरीजों को प्रमाण–पत्र जारी किये जा चुके है।

  सभी सिलिकोसिस मरीजों को राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है।

9 राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राज्य में मलेरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2023 में 2.56 लाख अति संवेदनशील जनसंख्या क्षेत्र पर डीडीटी कीटनाशक का छिड़काव करवाया गया।

- दिनांक 15.05.2023 से 31.07.2023 तक कीटनाशक स्प्रे का प्रथम चक्र चलाया गया एवं दिनांक 01.08.2023 से 15.10.2023 तक द्वितीय चक्र चलाया गया। कीटनाशक का स्प्रे से अधिक एपीआई एवं मलेरिया से मृत्यु वाले अति–संवेदनशील क्षेत्रों में करवाया जाता है।
- केमिकल कन्ट्रोल उपायों के तहत पेयजल टांकों में टेमीफॉस (Temephos), जला हुआ तेल (MLO) कीटनाशक सतत् रूप से मच्छरों के प्रजनन स्थलों में मच्छरों की उत्पत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु काम में लिया जा रहा है।
- मच्छरों के पनपने हेतु ऐसे पानी के स्त्रोत जिनमे लम्बे समय तक पानी भरा रहता है जैसे– कुऐं, बावडी, तालाब इत्यादि में लार्वीवोरस गम्बूशिया मछलियॉ (बायोलोजिकल कन्ट्रोल) डाली जाती हैं।
- राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्व चिकित्सालयों एवं अन्य जिलों के सामान्य अस्पताल को शामिल करते हुए कुल 59 सेन्टीनल सेन्टर डेंगू एवं चिकनगुनिया के उपचार हेतु चिन्हित किए गए है, जिनमें डेंगू एवं चिकनगुनिया की जांच कर निःशुल्क इलाज किया जाता हैं। डेंगू एवं चिकनगुनिया ELISA के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय वायरोलोजी संस्थान (NIV) पुणे के माध्यम से उक्त सेन्टीनल सेन्टरों को विशेष जॉच किट उपलब्ध कराए जाते हैं।
- नई औषधि नीति के अनुसार मलेरिया पी.वी. केसेज को 14 दिन तक एवं पी. एफ. कैसेज हो तो 3 दिन तक कम्पलीट रेडिकल ट्रीटमेन्ट दिया जा रहा है एवं प्रत्येक पी.एफ. केस को ACT से उपचारित किया जा रहा है। इस हेतु आशा को 200 रुपये प्रति आर.टी. का इन्सेन्टिव दिया जा रहा है। मलेरिया के उपचार हेतु निःशुल्क औषधियां वितरित की जाती है।
- आई.ई.सी. की गतिविधियां जैसे पोस्टर, बैनर, ऑडियो व विडियो इत्यादि के माध्यम से जन समुदाय को मच्छर जनित बिमारियों के रोकथम व बचाव के उपायों के लिए प्रेरित किया जा रहा हैं।

मलेरिया रोग की तुलनात्मक विवरण तालिका (वर्ष 2020 से 2023 तक)

वर्ष	मलेरिया रोगी	पी.एफ.रोगी	मृत्यु	ए.बी.ई.आर.
2020	1276	114	0	7.40
2021	925	119	0	7.85
2022	1565	111	1	9.66
2023	2263	225	0	11.53

नोटः– मलेरिया कार्यक्रम कलेण्डर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) से संचालित होता है।

डेंगू एवं चिकनगुनिया

यह वेक्टर जनित वायरल रोग है जो एडीस एजिप्टी नामक मच्छर के माध्यम से फैलता हैं। यह मच्छर घरेलू वातावरण में एवं आस–पास इकट्ठे साफ पानी में उत्पन्न होता है। डेंगू की रोकथाम हेतु मच्छर एवं लार्वा रोधी गतिविधियां तथा त्वरित जांच एवं उपचार गतिविधियां किया जाना आवश्यक है। इस हेतु राज्य सरकार ने वार्षिक कार्य योजना के तहत सभी जिलों में एवं चिकित्सा संस्थाओं को आवश्यक निर्देश जारी किये।

आमजन को जाग्रत करने के लिए घरेलू स्तर पर डेंगू से बचाव के उपाय हेतु समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं होर्डिंग आदि के माध्यम से बचाव एवं उपचार की जानकारी दी गई। जनता को अपने घरो में सभी जगह पर साफ–सफाई का पूर्ण ध्यान रखनें, घरों के आस–पास पानी इकट्ठा नही होने देने एवं पुराने टायर, कबाड एवं कूलर व घरो में प्रयुक्त पानी की टंकियो की साप्ताहिक सफाई करने हेतु IEC गतिविधियां राज्य एवं जिला स्तर पर करवाई गई।

डेंगू केस पाये जाने पर रोगी के घर एवं उसके आस–पास के घरों में फोगिंग कार्य पायरेथ्रम 1 भाग एवं डीजल 19 भाग का मिश्रण बनाकर धुंए के रूप में फॉगिंग मशीन द्वारा सम्पादित किया जाता है जिससे रोग से संक्रमित मच्छर को तत्काल मारा जा सके।

राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं अन्य जिलों के सामान्य अस्पताल को शामिल करते हुए कुल 59 सेन्टीनल सेन्टर डेंगू एवं चिकनगुनिया के उपचार हेतु चिन्हित किए गए है। डेंगू एवं चिकनगुनिया ELISA के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय वायरोलोजी संस्थान (NIV) पुणे के माध्यम से उक्त सेन्टीनल सेन्टर को विशेष जांच किट उपलब्ध कराए जाते है।

माह जुलाई को डेंगू रोधी माह के रूप में मनाया जाता हैं।

डेंगू रोग की तुलनात्मक विवरण तालिका (वर्ष 2020 से 2023)

वर्ष	रोगी	मृत्यु
2020	2023	5
2021	20141	62
2022	12979	10
2023	13924	14

चिकनगुनिया रोग की तुलनात्मक विवरण तालिका (वर्ष 2020से 2023)

वर्ष	रोगी	मृत्यु
2020	1015	0
2021	1044	0
2022	186	0
2023	305	0

डेंगू एवं चिकनगुनिया कार्यक्रम कलेण्डर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) से संचालित होते है।

10 राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम

विश्व भर में यह माना गया है कि आयोडीनयुक्त नमक के प्रयोग करने से आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से बचा जा सकता हैं। भारत विश्व में आयोडीन की कमी से प्रभावित प्रमुख राष्ट्रों में से एक हैं। आई.सी.एम.आर. द्वारा किये गये अध्ययन से ज्ञात होता है कि कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ आई.डी.डी. से प्रभावित व्यक्ति न हो।

सन् 1992 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय घेंघा नियन्त्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम रख दिया। राज्य सरकार ने 5 दिसम्बर 1992 को आदेश जारी कर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत आयोडीन रहित खाने योग्य नमक के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। राज्य में 1993–94 में इस कार्यक्रम की शुरूआत निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में आई.डी.डी. सैल की स्थापना के साथ की गई।

नमक के आयोडीनिकीकरण की योजना

भारत सरकार ने सन् 1954 में प्रोफेसर वी. रामालिंगास्वामी द्वारा अनुसंधान कराया गया। तब यह पता चला कि घेंघा रोग भारत में सभी राज्यों में पाया जाता है। भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1962 में राष्ट्रीय घेंघा नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम की महत्वता को देखते हुए सन् 1986 में इसे माननीय प्रधानमंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया। सन् 1988 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करके उनमें इस नियम को शामिल किया गया कि उत्पादन स्तर पर नमक में आयोडीन की मात्रा 30 पी.पी.एम. व फुटकर बिक्री के समय 15 पी.पी.एम. से कम नहीं होनी चाहिए।

आयोडीन की शरीर में आवश्यकता

आयोडीन शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु 150 माईक्रोम आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती हैं। यह माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, वनों के उजड़ने से खाद्य पदार्थों में आयोड़ीन की मात्रा कम हो गई हैं। इसकी पूर्ति नियमित रूप से आयोडीन युक्त नमक के सेवन से हो सकती हैं। आयोडीन को नमक में मिलाने से गंध, स्वाद व रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता हैं। आयोडीन को सिर्फ नमक में इसलिए मिलाया जाता है कि नमक में आयोडीन मिलाने का खर्चा बहुत कम होता हैं और हर तबके अर्थात गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति रोजाना नमक का सेवन करता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में गर्भपात व वयस्को में ऊर्जा की कमी, जल्दी थकावट आदि विकार भी आयोडीन की कमी से हो सकते हैं।

कार्यक्रम का लक्ष्य

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य घेंघा रोग की दर ऐनडेमिक जिलों में 10 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं–

- सर्वे द्वारा आई.डी.डी. की स्थिति की जानकारी रखना।
- साधारण नमक के स्थान पर आयोडीनयुक्त नमक की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- पाँच वर्ष पश्चात् पुनः सर्वे के द्वारा आई.डी.डी. का सर्वे करवाना एवं आयोडीनयुक्त नमक के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना।
- प्रयोगशाला में मूत्र एवं आयोडीनयुक्त नमक में आयोडिन की मात्रा की जांच करना।
- स्वास्थ्य शिक्षा देना।

संगठनात्मक ढॉचा

इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु राज्य स्तर पर अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) के अधीन राज्य नोडल अधिकारी (एनआईडीडीसीपी) कार्यरत हैं एवं जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रभारी अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नियुक्त किया गया हैं।

भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ष	एफ.एस.एस. एक्ट के अन्तर्गत लिये गये नमूने	सब स्टैण्डर्ड/ अनसेफ/ मिसब्राण्डेड/अन्य के आयोडीन रहित पाये गये नमूने	नॉन. एफ.एस.एस. एक्ट के अन्तर्गत लिये गये नमूनों की संख्या		
			आयोडीन रहित	15 पी.पी.एम. से कम	15 पी.पी.एम. से अधिक
2020	121	15	383	31018	284649
2021	123	16	57	16118	150660
2022	226	42	221	23584	184190
2023 (दिसम्बर, तक)	415	37	467	21592	282724

स्वास्थ्य शिक्षा और प्रस्तावित गतिविधियॉ

वर्ष	वृहद सभाओं की संख्या	ग्रुप सभाओं की संख्या	स्कूलों में आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की संख्या	आई.ई.सी. गतिविधियॉ
2020	12678	10954	4305	2001
2021	7640	5431	2606	5334
2022	6671	6290	4086	1394
2023 (दिसम्बर, तक)	8981	7112	4748	591

प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को राज्य के समस्त जिलों में ग्लोबल आई.डी.डी. दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे सेमिनार, कार्यशालाऐं, रैली, प्रतियोगिताऐं आदि का आयोजन किया गया है। राज्य स्तर पर जयपुर शहर के स्लम एरिया में, आर.सी.एच. सेन्टर एवं डिस्ट्रिट हैल्थ सेन्टर (डीएचसी) के प्रभारियों के सहयोग से चयनित स्कूली बच्चों को आईईसी गतिविधियों के माध्यम से आयोडीनयुक्त नमक की उपयोगिता हेतु जागरूक किया जा रहा हैं।

हमारे लिए यह गर्व की बात है कि राजस्थान देश में नमक का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इसलिए भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय नमक आयुक्त कार्यालय की स्थापना जयपुर में की गयी। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत् राज्य में नमक निर्माता, नमक विक्रेता, नमक ट्रांसपोर्टर को आयोडीन के बारे में जागरूकता हेतु अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, फलौदी (जोधपुर) एवं नांवा (नागौर) में कार्यशालाऐं आयोजित की गई, जिनमे नमक व्यापारियों को भी शामिल किया गया था।

वर्ष 2023 में सॉल्ट टेस्टिंग किट के द्वारा नमक के लिये गये नमूनों की जांच के अनुसार राजस्थान राज्य में 92.6 प्रतिशत आयोडीनयुक्त नमक मानक स्तर का पाया गया हैं।

वर्ष 2023 की स्थिति	आगामी कार्य योजना
राजस्थान राज्य में वर्ष 2023 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम **(एफएसएसए** एक्ट) के तहत् दिसम्बर, 2023 तक 467 नमूनें लिये गये जिनमें से सब स्टैन्डर्ड/ अनसेफ/मिस ब्रान्डेड/अन्य के 37 नमूने पाये गये। **नॉन एफएसएसए** एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2023 में दिसम्बर, 2023 तक कुल–304783 नमूनें लिये गये, जिसमें से आयोडीन रहित–467, 15 पीपीएम से कम–21592 एवं 15 पीपीएम से अधिक–282724 नमूने पाये गये।	नमक उत्पादक फैक्ट्रियों की जांच कर सम्पूर्ण नमक में आयोडीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना जिससे कि विक्रय हेतु आयोडीनयुक्त नमक ही उपलब्ध हो।

वित्तीय :

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु एनआरएचएम से प्राप्त बजट का विवरणः–

FMR Code	Scheme/ Activity	Budget Head	Received Amount (Rs in lac)
RCH.8	Implementation of NIDDCP	Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport)	1.20
		IEC & Printing	12.90
		Total	**14.10**

11 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

Global Adult Tabacco Survey, 2016–17 के अनुसार राज्य में 24.7 प्रतिशत वयस्क लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। राज्य में तम्बाकू के उपभाग में कमी लाने के लिए तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जन जागरूकता तथा तम्बाकू नियंत्रण कानून की क्रियान्विति के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा हैं।

कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार 31 मई से 31 जुलाई 2023 तक सम्पूर्ण भारत में **''टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन''** आयोजित किया गया। जिसके अन्तर्गत राज्य में उल्लेखनीय तम्बाकू नियंत्रण गतिविधियां आयोजित करने पर राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस हेतु भारत सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को **'' टोबैको कन्ट्रोल एक्सीलेन्स अवार्ड''** से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्जित की गई उपलब्धियां

1– कार्यक्रम अन्तर्गत 1.14 लाख शिक्षण संस्थानों में कुल 90.96 लाख विद्यार्थियों के द्वारा तम्बाकू निषेध की शपथ ग्रहण की गई।

2– शिक्षण संस्थानों में आयोजित 80768 रैली/दौड आयोजित की गई जिनमें कुल 43.67 लाख विद्यार्थियों के द्वारा भाग लिया गया।

3– शिक्षण संस्थानों में कुल 79134 प्रतियोगिताऐं आयोजित किए गए जिसमें 25.96 लाख विद्यार्थियों के द्वारा भाग लिया गया।

4– कुल 96723 शिक्षण संस्थान तम्बाकू मुक्त घोषित किए गए।

5– कुल 1.42 लाख सेन्सेटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 20.74 लाख प्रतिभागियों के द्वारा भाग लिया गया।

6– कुल 1.99 लाख जागरूकता कार्यक्रम में कुल 20.50 लाख प्रतिभागियों के द्वारा भाग लिया गया।

7– सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 4 व 6 के अन्तर्गत कुल 1.54 लाख चालान किए गए।

8– कुल 10430 ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा की बैठक में तम्बाकू निषेध के प्रस्ताव पारित किए गए।

9–कुल 49,617 विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

10–तम्बाकू मुक्ति के लिए कुल 22,460 लोगों की काउन्सिलिंग की गई तथा कुल 9396 लोगों का तम्बाकू मुक्ति उपचार किया गया।

11– स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 'नो बैग डे' कैम्पेन के अन्तर्गत 02.09.23 तथा 02.12.23 को स्कूलों में तम्बाकू निषेध गतिविधियां आयोजित की गयी जिनमें क्रमशः 70.28 लाख तथा 63.04 लाख विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया।

वित्तीय प्रगति (1 अप्रेल से 31 दिसम्बर, 2023)

कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि रूपये 686.22 लाख में से 348.05 लाख का उपयोग कर लिया गया हैं।

आगामी कार्य योजना

तम्बाकू उपभोगियो के उपचार को सुदृढ़ करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से समस्त कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर (लगभग 7000) को वर्ष 2024 में तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि डिजिटल सर्वे में पहचान किए गए तम्बाकू उपभोगियों को उनके निवास के नजदीक ही उपचार एवं परामर्श प्राप्त हो सकें।

तम्बाकू उपभोगियों के उपचार के लिए निकोटाइन रिप्लेसमेंट थैरेपी (NRT) को निःशुल्क दवा योजना में शामिल कर लिया गया हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इस दवा की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

12 राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियन्त्रण एवं बचाव कार्यक्रम (NP-NCD) एवं नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाईमेन्ट चेन्ज एण्ड ह्यूमन हैल्थ (एनपीसीसीएचएच)

वर्तमान में WHO Contrary Profile के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक मृत्यु का कारण गैर संचारी रोग है। गैर संचारी रोग से होने वाली मृत्यु का मुख्यतयः कारण जीवन शैली एवं खान–पान में बदलाव, गैर संचारी रोग के निदान एवं Continuum of Care का अभाव होना है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियां निम्नानुसार हैः–

1. आईईसी, बीसीसी एवं परामर्श के माध्यम से आमजन को बेहतर जीवन शैली अपनाने एवं स्वस्थकारी खान–पान के संबंध में जानकारी/प्रोत्साहन दिया जाना है।
2. प्रारम्भिक अवस्था में निदान हेतु जनसंख्या आधारित एनसीडी स्क्रीनिंग एवं चिकित्सालयों में Opportunistic NCD Screening की जाती है।

   जनसंख्या आधारित एनसीडी स्क्रीनिंग (आउटरिच कैम्प) की भौतिक प्रगति निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष **2023-2024 (April to Dec. 2023)**						
वार्षिक लक्ष्य (30+ जनसंख्या)	एनसीडी स्क्रीनिंग	डायबिटिज	हाईपरटेन्शन	डायबिटिज एवं हाईपरटेन्शन	कॉमन कैंसर के सम्भावित मरीज	फॉलोअप
28966190	4358497	381808	720486	145855	8837	1101682

चिकित्सालयों में Opportunistic NCD Screening की भौतिक प्रगति निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष **2023-2024 (April to Dec. 2023)**									
वार्षिक लक्ष्य (30+ जनसंख्या)	एनसीडी स्क्रीनिंग	डायबिटिज	हाईपरटेन्शन	डायबिटिज एवं हाईपरटेन्शन	कॉमन कैंसर के मरीज	नये पाये गये मरीजों का उपचार प्रारम्भ कर दिया गया	काउन्सलिंग	फिजियोथेरेपी	फॉलोअप
28966190	12466120	589687	944850	213375	635 (Oral-348, Breast-169, Cervical-118)	1626966	6163667	109166	2593339

3. गैर संचारी रोग के मरीजों के नियमित उपचार (continuum of Care) हेतु फॉलोअप किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के 29 लाख मरीजों को चिन्हित कर Continuum of Care का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 500 दिवसीय कार्ययोजना बनाई गई है।
4. **कॉर्डियक केयर यूनिट (सीसीयू):–** भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार राज्य के 8 जिलों के जिला चिकित्सालय (भीलवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, श्रीगंगानगर एवं चूरू) में 2–4 शैय्याओं वाले कॉर्डियक केयर यूनिट(सीसीयू) का संचालन किया जा रहा हैं। जहां सीवीडी एवं स्ट्रोक के मरीजों को आवश्यकतानुसार भर्ती कर उपचार दिया जा रहा हैंः–

2023-2024 (April to Dec. 2023)	
CVD	**Stroke**
2232	356

5. **जिला कैंसर केयर कार्यक्रमः–** कैंसर मरीजों की विशेष चिकित्सकीय देखभाल हेतु जिला चिकित्सालयों पर कैंसर केयर यूनिट स्थापित हैं जहां प्रशिक्षित चिकित्सक टीम के द्वारा कैंसर मरीजों की जांच, निदान, किमोथेरेपी, पेलेटिव केयर, परामर्श एवं रेफरल आदि सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं, प्रगति निम्न प्रकार हैंः–

2023-2024 (April 2023 to Dec. 2023)					
OPD	**Cancer Patient**	**IPD**	**IV Chemotherapy**	**Oral Chemotherapy**	**Palliative Care**
30458	3372	14879	12535	3062	5491

6. **<u>प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम</u>** के अन्तर्गत राज्य के 33 जिलों में हिमोडायलिसिस सुविधा संचालित है जिसमें भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली, नाथद्वारा (राजसमंद) एवं केकड़ी में विभाग एवं झालावाड में CSR के तहत् चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा तथा शेष जिलों में निजी जनसहभागिता के माध्यम से हिमोडायलिसिस सुविधा उपलब्ध है। उक्त 35 डायलिसिस केन्द्रों पर कुल 123 से अधिक मशीन Functional हैं।

2023-2024 (April 2023 to Nov. 2023)	
Cumulative No. of Patients Registered	**Cumulative No. of Dialysis Sessions held**
7689	59669

राज्य के 50 बेड से अधिक क्षमता वाले 182 चिकित्सा संस्थानों यथा जिला चिकित्सालय, उपजिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दो–दो हिमोडायलिसिस मशीन, 1 आरओ प्लांट, 2 एसी एवं 2 हिमोडायलिसिस बेड की आपूर्ति किये जाने हेतु आरएमएससीएल को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। उक्त केन्द्रों पर हीमोडायलिसिस सुविधा शीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

7. **<u>पेरिटोनियल डायलिसिस :</u>**–गुर्दे के मरीजों को घर पर ही डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पैरिटोनियल डायलिसिस कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत पीडी फ्लूड एवं अन्य कन्ज्यूमेबल आईटम के क्रय की दर आरएमएससीएल के स्तर से नियत कर दी गई है तथा पेरिटोनियल डायलिसिस हेतु पीडी फ्लूड की सप्लाई मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाई गई है।

8. **कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम (नवाचार):** राज्य में कैंसर रोगियों का प्रमाणित डाटा उपलब्ध हो इस हेतु भारत सरकार के सहयोग से राज्य में कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम प्रारम्भ किया गया है ताकि विभिन्न तरह के कैंसर रोगियों की प्रिविलेन्स ज्ञात होने पर बेहतर योजना तैयार की जा सकें। कैंसर रजिस्ट्री की क्रियान्विति हेतु ICMR-NCDIR Banglore से एमओयू किया गया है। वर्तमान में 135 से अधिक चिकित्सालयों को पंजीकृत कर लिया गया है तथा पंजीकरण की कार्यवाही निरन्तर जारी है।

नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाईमेन्ट चेन्ज एण्ड ह्यूमन हैल्थ (एनपीसीसीएचएच)

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वायु प्रदुषण को मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा/वैश्विक स्तर पर बीमारियों एवं मृत्यु का मुख्य परिहार्य कारण माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठनों के अनुसार दुनिया की आधी से अधिक आबादी प्रदुषित हवा में सांस ले रही है तथा वायु प्रदुषण के कारण प्रतिवर्ष 70 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है जिसमें से 90 प्रतिशत निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के होते है। इसी परिप्रेक्ष्य में आमजन में **"स्वच्छ वायु–बढ़ाए आयु"** जैसी भावनाएं विकसित कर जनजागरूकता एवं प्रचार–प्रसार गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार के माध्यम से राज्य में **"नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाईमेन्ट चेन्ज एण्ड ह्यूमन हैल्थ (एनपीसीसीएचएच)"** प्रोग्राम संचालित है।

- National Program on Climate Change and Human Health (NPCCHH) कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरण से संबंधित, Heat Waves, Cold Wave, Flooding, Food insecurity, Vector and Waterborne Disease से संबंधित ह्यूमन हैल्थ पर पडने वाले प्रभाव को नियंत्रण कर इससे होने वाली मृत्यु को कम किया जा सके, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत सेन्टिनल सर्विलेन्स के रूप में 5 जिले यथा जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर एवं जोधपुर चिन्हित कर लिये गये है जिसके आधार पर जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव का आंकलन किया जायेगा। इस हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सकों का सेन्सिटाईजेशन प्रशिक्षण करवाया गया है।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सालयों में सोलर पैनल एवं एलईडी लाईट लगाई जा रही है।

राष्ट्रीय वृद्धजन सेवा कार्यक्रम (NPHCE)

राष्ट्रीय वृद्धजन सेवा कार्यक्रम (NPHCE) **वित्तीय वर्ष 2020–21 से राज्य के समस्त जिलों में संचालित हैं, जिसमें 10 बेड का जेरिएट्रिक वार्ड बनाया गया हैं व पृथक रूप से Rehabilitation Services दी जा रही है।** Rehabilitation Services के लिए आवश्यक Rehabilitation Instruments भी उपलब्ध करवाये गये हैं। वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ वर्तमान में **चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा National Program For Health Care of Elderly (एनपीएचसीई) कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE) स्थापित करने के लिए एक प्रयास है। वृद्धजनों की मुख्य बीमारियाँ– खॉसी, जोड़ों का दर्द, रक्तचाप, बवासीर, मूत्र संबंधी समस्याएं, मधुमेह और कैंसर, विकलांग दृश्य, श्रवण, भाषण, लोकोमोटिव ओर स्मृति लोप आदि बीमारियों का उपचार/प्रबंधन भी मंहगा है, विशेष रूप से कैंसर के उपचार, संयुक्त प्रतिस्थापना, हृदय शल्य चिकित्सा, न्यूरोसर्जिकल प्रक्रियाओं आदि।

उद्देश्यः–

1. कम्यूनिटी बेस्ड प्राईमरी हेल्थ केयर के माध्यम से वृद्धजनों 60 वर्ष से अधिक लोगो की आबादी पर जोर देने के साथ समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के माध्यम से बुजुर्गों को प्रचार, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना। 75 वर्ष से अधिक वृद्धजनों पर विशेष ध्यान देना।
2. बुजर्गों में स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना और एक मजबूत रेफरल सुविधाएं प्रदान करना।
3. मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ को वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रशिक्षण देना।
4. जिला अस्पतालों और क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से बुजुर्ग रोगियों को रेफरल सेवाएं प्रदान करना।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जैसे अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न सुविधा प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	संस्थान का नाम	स्वास्थ्य सुविधा
1	**जिला अस्पताल**	पीएचसी/सीएचसी और अन्य साइटोंमेंजेरिएट्रिक सेवाओं के लिए शिविरों का आयोजन। नियमित रूप से बुजुर्गों के लिए समर्पित ओपीडी सेवाओं के लिए जेरिएट्रिक क्लिनिक। जेरिएट्रिक चिकित्सा और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्रयोगशाला जांच की सुविधा। बुजुर्गों की इनडोर देखभाल के लिए दस बेड वाला जेरिएट्रिक वार्ड। मौजूदा सुविधायें जैसे जनरल मेडिसिन ऑर्थोपेडिक्स, नेत्र रोग, स्त्री रोग, ईएनटी सेवा, एनपीसीडीसीएस के तहत सीसीयू आदि सेवाएं बुजुर्ग रोगियों के लिए प्रदान करना। सीएचसी/पीएचसी से रेफर किये गये वृद्धजनों को सेवाएं प्रदान करना। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वृद्धजनों को तृतीयक स्तर के अस्पतालों में रेफरल सुविधायें प्रदान करना।
2.	**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र**	पीएचसी से बुजुर्गों के लिए पहली रेफरल यूनिट (एफआरयू)। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जेरिएट्रिक क्लिनिक सप्ताह में दो बार सोमवार ओर शुक्रवार को। फिजियोथेरपी और परामर्श के लिए पुनर्वास इकाई। बेड रिडन बुजुर्गों के लिए रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता द्वारा होमबेस्ड विजिट करना। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना जो कि स्वस्थ जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित हो। गंभीर बीमारियों से ग्रसित वृद्धजनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर करना।

3	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**	हर सोमवार को प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जेरिएट्रिक क्लिनिक संचालित करना। वृद्धजनों को रूटीन हेल्थ चेकअप करना–नेत्र, बीपी, ब्लड शुगर आदि। संबंधित नैदानिक परीक्षा के आधार पर बुजुर्ग व्यक्तियों के नियमित स्वास्थ्य मूल्यांकन का संचालन करना और अपनी पहली यात्रा के दौरान मानक प्रारूप का उपयोग करते हुए बुजुर्गों का रिकार्ड बनाए रखना। पुरानी बीमारियों पर दवाओं का प्रावधान और उचित सलाह देना। विशेष रूप से स्वस्थ जीवन शैली पर ध्यान केद्रित करने, स्वास्थ्य और ग्राम स्वच्छता दिवस/शिविरों के दौरान परिवारों की देखभाल करने और स्वस्थ उम्र बढ़ने पर प्रचार, निवारक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं पर सार्वजनिक जागरूकता। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या जिला अस्पताल को आवश्यकता के अनुसार आगे की जांच और उपचार की आवश्यकता वाले रोगों के लिए रेफरल सुविधा प्रदान करना।

Consolidated No. of Facilities in the District Strengthened and Services Provided:

S. No.	Care Services provided	FY 2023-24 (Till December)
i	Number of Elderly persons attended OPD	**3375224**
ii	Number of Cases admitted in wards	**227625**
iii	Number of Persons given rehabilitation services	**179173**
iv	Number of Lab. tests performed on elderly	**1511669**
v	Number of Elderly screened & provided health card	**294119**
vi	Number of Elderly persons provided home based care	**36169**
vii	Number of Elderly provided supportive appliances.	**32535**
viii	Number of Cases referred	**61156**
ix	Number of cases died in Hospital	**2411**

13 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी)

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एनआरएचएम की पीआईपी में राजस्थान के 13 जिलों में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम राजस्थान के सभी 33 जिलों में संचालित है।

लक्ष्य

1. मानसिक और तंत्रिका संबंधी विकारों और उनसे जुड़ी विकलांगताओं की रोकथाम और उपचार।
2. सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का उपयोग।
3. जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए संपूर्ण राष्ट्रीय विकास में मानसिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का अनुप्रयोग।

उद्देश्य

1. निकट भविष्य में सभी के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना
2. सामान्य स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना
3. मानसिक स्वास्थ्य सेवा विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और समुदाय में स्वयं सहायता की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

अवयव

1. मानसिक रूप से बीमार का इलाज.
2. पुनर्वास.
3. सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम एवं संवर्धन।

गतिविधियाँ

- ओपीडी और आईपीडी सेवाएं।
- चिकित्सा अधिकारियों और पैरा मेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण
- आउटरीच शिविर/लक्षित हस्तक्षेप शिविर।
- स्कूल गतिविधियाँ /कॉलेज गतिविधियाँ।
- आईईसी सामग्री का वितरण।
- राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण
- टेली–मानस

संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तरपर

पदनाम	कार्यालय	ई–मेल
राज्य नोडल अधिकारी एनएमएचपी	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलकमार्ग, राजस्थान, जयपुर	nmhp.pcj2020@gmail.com

जिलास्तरीय

क्रम संख्या	पद
1	जिला नोडल अधिकारी
2	क्लीनिकल सॉइकोजिस्ट
3	साईकेटिक सोशल वर्कर

4	साईकेटिक नर्स
5	कम्युनिटी नर्स
6	मॉनिटरिंग एवं इव्यूलेशन अधिकारी
7	केस रजिस्ट्री असिस्टेंट
8	वार्ड असिस्टेंट
9	कम्युनिटी मेंटल हैल्थ वर्कर

डीएमएचपी के स्वीकृत पद के विरूद्व कार्यरत कार्मिक NMHP 2023-24

क्रम संख्या	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	जिला नोडल अधिकारी	33	31	2
2	क्लिनिकल सॉइकोजिस्ट	61	0	61
3	साईकेटिक सोशल वर्कर	33	0	33
4	साईकेटिक नर्स	33	16	17
5	कम्युनिटी नर्स	33	0	33
6	मॉनिटरिंग एवं इव्यूलेशन अधिकारी	33	0	33
7	केस रजिस्ट्री असिस्टेंट	33	14	19
8	वार्ड असिस्टेंट	33	12	21
9	कम्युनिटी मेंटल हैल्थ वर्कर	140	0	140
कुल		**432**	**73**	**359**

नोटः—जिला स्तर पर (वित्तीय वर्ष 2023—24) कार्यरत कुल मनोचिकित्सक 104

लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

प्रशिक्षण प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2023—24 में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर के द्वारा अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक 9 बैचों के अन्तर्गत 211 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है साथ ही अप्रैल 2023 से दिसम्बर, 2023 तक जिलों में एएनएम 1441, जीएनएम 2039, आशा 4167 एवं अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ 4020 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कराकर कौशल उन्नयन किया जा चुका है।

ओ.पी.डी

कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 (दिसम्बर 2023 तक) में उपचारित किये गये मरीजों की संख्या निम्नानुसार हैः—

Year	New OPD	Follow up	Total
अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023	**212614**	**337647**	**550261**

आउटरीच कैम्प (मानसिक रोगियों की पहचान हेतु शिविर)

एनएचएचपी कार्यक्रम के अन्तर्गत मनोचिकित्सकों/प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विद्यालयों/धार्मिक स्थलों/सामुदायिक स्थलों/मेलों आदि में आउटरीच कैम्प का सफल संचालन किया जा रहा है।

Year	Camp (Outreach)	Patients	Targeted Intervention Camps	Balgrah Visits
अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023	581	10775	271	335

गत वर्षो का तुलनात्मक रिपोर्ट

वर्ष	2021–22	2022–23	2023–24 (अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक
कुल न्यू ओपीडी	209534	233649	212614
कुल फॉलोअप केसेज	288404	338639	337647
कुल आईपीडी	10028	12313	9240
कुल टारगेटेड इनटरवेंशन कैम्प	163	328	271
कुल आउटरीच कैम्प कंडकटेड	740	519	581
कुल मरीज एक्जामिंड इन आउटरीच कैम्पस	7486	9190	10775
एम ओ ट्रेनिंग	261	176	211

आईईसी

- जिलों में विभिन्न आईईसी के माध्यमों से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
- **मानसिक रोगों व नशामुक्ति के लिए समस्त मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों में (10 IPD Bed) की सुविधा**

वित्तीय प्रगति 2023–24

वित्तीय वर्ष	अनुमोदित आरओपी (रू0 लाखों में)	व्यय (रू0 लाखों में)
2021–22	372.70	188.85
2022–23	402.40	160.91
2023–24 (अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक)	402.40	170.68

टेली–मानस

भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच को ओर बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम** प्रारम्भ किया गया है। राज्य में दो टेली–मानस सेल क्रमशः जयपुर (1 मई, 2023) व जोधपुर (1 नवम्बर, 2023) में स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य समान, सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक (Global) पहुंच प्रदान करना

है। एनएमएचपी के डिजिटल घटक के रूप में 24X7 टेली–मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं (हैल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14416 और 1800–89–14416) पर उपलब्ध हैं।
टेली–मानस जयपुर राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल राशि रूपये 203.83 लाख प्राप्त हुए एवं इसके विरूद्व राशि रूपये 54.99 लाख खर्च किया जा चुका है।

टेली–मानस सेल जयपुर में प्राप्त कॉल वित्तीय वर्ष 2023–24			
अवधि	**कुल प्राप्त कॉल्स.**	**उपयोगकर्ता कॉल्स**	**कुल कॉल्स**
मई 2023 से दिसम्बर, 2023 तक	6601	1451	8052

टेली–मानस सेल जोधपुर में प्राप्त कॉल वित्तीय वर्ष 2023–24			
मासिक प्रगति रिपोर्ट	**कुल प्राप्त कॉल्स.**	**उपयोगकर्ता कॉल्स**	**कुल कॉल्स**
1 नवम्बर 2023 से 31 दिसम्बर, 2023	–	–	1619

- **राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएमएचए)** का गठन और अधिसूचित किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, (एमएचसीए), 2017 के अनुसार एसएमएचए में शेष गैर–आधिकारिक सदस्यों के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

आगामी कार्य योजना

1. मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का अंतरिम पंजीकरण।
2. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम, विनियम और जिला मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड नियम बनाना और कार्यान्वयन।
3. टेली–मानस टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 14416 और 18008914416 का व्यापक प्रचार।
4. नौ चिन्हित जिलों में Addiction Treatment Facility की स्थापना।
5. डीएमएचपी गतिविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन।
6. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में रिक्त पदों की भर्ती।

14 राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (एन.पी.पी.सी.डी.)

राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम वर्ष 2014–2015 में राजस्थान के 12 जिलों में प्रारम्भ हुआ। वर्ष 2016–2017 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम को संचालित करने के लिए अन्य 6 जिलों के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2018–2019 में 3 नये जिलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम को संचालित करने के लिए राजस्थान के शेष सभी जिलों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उद्धेश्य –

1. बीमारी अथवा चोट के कारण होने वाली श्रवण क्षमता की कमी की रोकथाम।
2. श्रवण क्षमता को कम करने वाली कान की समस्याओं की शीघ्र पहचान एवं उपचार करना।
3. बहरापन से पीड़ित समस्त लोगो का पुर्नवास।
4. यंत्र सामग्री एवं ट्रेनिंग देकर संस्थागत क्षमता का विकास।

भौतिक प्रगति

1. राज्य में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत ईएनटी सर्जन के साथ एनपीपीसीडी कार्मिको को कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है।
2. एनपीपीसीडी कार्मिको द्वारा ओपीडी में सेवायें, ऑडियोमैट्री, स्पीच थैरेपी आदि ईएनटी सर्जन एवं ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा प्रदान की जा रही है।
3. कार्यक्रम को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के साथ भी कार्य करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
4. राज्य में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को एनपीपीसीडी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया हैं।
5. वर्ष 2018–2019 में जिलों में Hearing Aids का वितरण प्रारम्भ किया गया है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत ओपीडी सेवाओं व विभिन्न कैम्प्स की वर्षवार भौतिक रिपोर्ट निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	आयोजित स्क्रीनिंग कैम्प्स की संख्या	कैम्प्स में स्क्रीनिंग हुये मरीजों की संख्या	ओपीडी में स्क्रीनिंग हुये मरीजों की संख्या
2020–2021	108	4938	146870
2021–2022	202	4130	219319
2022–2023	364	5717	311362
2023–2024 (माह दिसम्बर, 2023 तक)	186	3382	195705

हियरिंग मोर्बिडीटिज Hearing Morbidities

मोर्बिडीटीज (Morbidities)	मरीजों की संख्या वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर, 2023 तक)
Deafness	9550
CSOM	25200
ASOM	23700
Secretory OM	17291
Wax	42483
Ear Trauma	1842
Speech Problems	2945
Surgery	898
Hearing aid fitted	726
rehabilitation	1045
Any other	23432

15 राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.ओ.एच.पी.)

भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में राजस्थान राज्य के 01 जिले हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2014–2015 में शुरू किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2015–2016 में नये 02 जिलों टोंक व झालावाड में यह कार्यक्रम शुरू किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2016–2017 में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत कार्य योजना में शेष 30 जिलों में भी यह कार्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलों में सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा हैं।

उद्देश्य

- मुख स्वास्थ्य के निर्धारको में सुधार जैसे कि स्वस्थ आहार, मुख स्वच्छता सुधार आदि और 86 प्रतिशत ग्रामीण व शहरी आबादी में मुख स्वास्थ्य की सेवाओं में उपलब्ध असमानता को कम करने के लिये।
- मुख रोगों से रूग्णता कम करने के लिये (उप जिला व जिला अस्पताल के साथ मुख स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाना)

नियुक्ति अनुबंध के आधार पर

क्र.स.	पद का नाम	संख्या	बेसिक मानदेय
1	राज्य सलाहकार	01	40,000 / –
2	डेंटल हाईजीनिस्ट	26	20,000 / –
3	डेंटल असिस्टेंट	33	10,000 / –
कुल		**60**	

भौतिक प्रगति

- कार्मिकों के प्रशिक्षण पश्चात् कार्यक्रम संचालित जिलों में जनसंख्या का रैण्डम आधारित (अनुमानित 5 प्रतिशत) सर्वे किया जा रहा है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत जिलो में शिविरों का आयोजन कर मरीजों को सेवायें व आईईसी गतिविधियां संचालित की जा रही है।
- कार्यक्रम संचालित जिलों में माह में दो दिवस पहले व चौथे शुक्रवार को जिला अस्पताल एनओएचपी क्लिनिक में, कार्मिकों द्वारा मरीजों को ओपीडी सेवाओं के साथ मुख रोगों से बचने के उपाय व सही ब्रशींग का तरीका समझाया जा रहा हैं।
- कार्यक्रम को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ 12 कैम्प एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के साथ 8 कैम्प मासिक करने हेतु निर्देशित किया जा चुका हैं।

राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम

भौतिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष	कैम्प/ओपीडी	लाभान्वित		कुल
		पुरूष	महिला	
2020–2021	कैम्प	4430	4270	8700
	ओपीडी	340093	335426	675519
2021–2022	कैम्प	28598	27024	55622
	ओपीडी	502117	486148	988265
2022–2023	कैम्प	88644	89381	178025
	ओपीडी	762236	744880	1507116
2023–2024 (माह दिसम्बर, 2023 तक)	कैम्प	74581	74474	149055
	ओपीडी	633662	637018	1270680

वित्तीय प्रगति

(राशि रूपये लाखों में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि (भारत सरकार)	भारत सरकार से प्राप्त राशि	राज्य अंश	कुल राशि	व्यय राशि
2020–2021	191.54				134.53
2021–2022	268.53				190.46
2022–2023	429.30				92.67
2023–2024 (माह दिसम्बर, 23 तक)	429.30				58.00

16 राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (एनपीपीसीएफ)

पीने के पानी में 1 पीपीएम से ज्यादा फ्लोराइड का लगातार सेवन करने से व फ्लोराइड युक्त पदार्थो का अधिक मात्रा में लगातार सेवन करने से दांत, हड्डी व अन्य अंगो में विकार उत्पन्न होने को फ्लोरोसिस कहते है। फ्लोरोसिस तीन प्रकार का होता है 1. दन्त फ्लोरोसिस 2. अस्थि फ्लोरोसिस 3. गैर अस्थि फ्लोरोसिस

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. **कम्यूनिटी सर्वे**– प्रभावित इलाकों का डोर टु डोर सर्वे कर फ्लोरोसिस से ग्रसित मरीजों का डाटा कलेक्शन करना।
2. **स्कूल सर्वे**– स्कूलों में विद्यार्थियों का सर्वे कर फ्लोरोसिस ग्रसित बच्चों का डाटा कलेक्शन करना।
3. **अन्तर्विभागीय समन्वय**– नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जलदाय एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर फ्लोराइड से रहित पानी उपलब्ध करवाने के लिये आर0 ओ0 की व्यवस्था करवाने की राय देना।
4. फ्लोरोसिस कैसेज की रोकथाम, निदान एवं उपचार के लिए आवश्यकतानुसार चिकित्सा संस्था (पीएचसी/सीएचसी/सेटेलाईट अस्पताल/जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज) पर रेफर करना।

राजस्थान में वर्तमान परिदृश्य

जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट दिनांक 1.4.2023 के अनुसार **सम्पूर्ण भारत में फ्लोराइड से प्रभावित कुल 393 क्षेत्रों में से 113 राजस्थान में है।**

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीएफ) राज्य के 30 जिलों में संचालित किया जा रहा है। एनपीपीसीएफ कार्यक्रम में प्रत्येक जिले में एक फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण प्रकोष्ट का संचालन किया जा रहा है। जिसके द्वारा प्रभावित इलाको का सर्वे कर पीने के पानी व संभावित मरीजों का मूत्र सेम्पल एकत्रित किया जाता है एवं लैब टेक्निशीयन द्वारा एकत्रित किये गये पानी व मूत्र के सेम्पल की जांच की जाती है।

कार्यक्रम की गतिविधियां

1. प्रभावित इलाकों में आई.ई.सी. के द्वारा जन जागरूकता।
2. प्रभावित इलाकों में वर्षा का जल संचय (वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर) विकसित करने के लिये लोगों को प्रेरित करना।
3. पीएचईडी व अन्य सम्बन्धित विभागों से तालमेल कर फ्लोराईड रहित पानी उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही करवाना।
4. अत्यधिक प्रभावित व्यक्तियों की निःशुल्क जॉच व उपचार करना।

कार्यक्रम की प्रगति

कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023–24 में दिसम्बर तक 21317 संभावित फ्लोरोसिस रोगियों को चिन्हित किया गया है। कुल 3379 पेयजल के नमूनों तथा कुल 4963 मरीजों के यूरीन की जांच की गयी। कुल 5058 रोगियों को प्राथमिक उपचार व दवा वितरण किया गया।

वित्तीय प्रगति

कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत राशि रूपयें 90.00 लाख मे राशि रूपये 51.51 लाख का उपयोग कर लिया गया हैं।

17

आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा **''यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज''** की घोषणा के परिपेक्ष्य में दिनांक 1 मई 2021 से **''आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना''** का संचालन किया जा रहा है। उक्त स्वास्थ्य बीमा योजना का नियंत्रण एवं संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन **''राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी'' (RSHAA)** द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजना में राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पंजीकृत परिवार एवं सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 में चयनित परिवार, सभी सरकारी कार्यालयों/निगम/स्वायतशासी संस्थानों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमान्त कृषक, कोविड –19 महामारी में अनुदान प्राप्त परिवार तथा ई.डब्ल्यू. एस. (प्रति परिवार कुल वार्षिक आय 8 लाख रू. से कम) को निःशुल्क श्रेणी तथा राज्य के शेष परिवार (जो राज्य सरकार की आर.जी.एच.एस. योजना में शामिल नही है) को योजना में 850–/रू. प्रति परिवार प्रति वर्ष का अंशदान प्रीमियम के रूप में जमा कराने पर पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। वर्तमान में 1.42 करोड परिवारों को योजनान्तर्गत पंजीकृत कर योजना की पात्रता में शामिल किया जा चुका है। उक्त येाजना में वर्तमान में 1806 पैकेजेज के तहत 894 राजकीय चिकित्सालयों एवं 838 निजी चिकित्सालयों में 25 लाख रू. तक का कैशलेस उपचार दिया जा रहा है।

राज्य में 16 दिसम्बर 2023 से **''विकसित भारत संकल्प यात्रा''** भी प्रारम्भ की गई है, जिसमें राज्य के प्रत्येक जिलों में शिविरों का आयोजन कर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लाभ लेने हेतु पात्र परिवारों के ई. के.वाई.सी. के तहत आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे है। वर्तमान में लगभग 1.37 करोड व्यक्तियों की ई.के.वाईसी. की जा चुकी है। आयुष्मान कार्ड की डिजाईन का अनुमोदन होने के पश्चात कार्ड वितरण का कार्य भी किया जायेगा। ''मेरी कहानी मेरी जुबानी'' कार्यक्रम के तहत उपचारित लाभार्थियों द्वारा अपने अनुभव साझा कर अन्य व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2023 से **''प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN)''** की शुरूआत की गई है। यह अभियान राज्य में **''विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups)''** के लिये प्रारम्भ किया गया, जिसमें बारां जिलें के सहरियां जन जाति के लोग शामिल हैं। अभियान के अन्तर्गत सहरियां जनजाति के सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चिन्हित कर जोडा जायेगा तथा आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जायेगा।

- **राज्य में अब तक संचालित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विवरण –**

योजना का नाम एवं चरण	योजना का वर्ष	योजना प्रारम्भ की दिनांक	योजना समाप्ति की दिनांक	संचालन मोड	प्रीमियम दर प्रति परिवार प्रति वर्ष
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना – प्रथम फेज	प्रथम पॉलिसी वर्ष	13.12.2015	12.12.2016	बीमा मोड (न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमि. द्वारा)	370/– रू. एवं सेवाकर
	द्वितीय पॉलिसी वर्ष	13.12.2016	12.12.2017		
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना – द्वितीय फेज	प्रथम पॉलिसी वर्ष	13.12.2017	12.12.2018	बीमा मोड (न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमि. द्वारा)	1263/– रू. एवं सेवाकर
	द्वितीय पॉलिसी वर्ष	13.12.2018	12.12.2019		
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना	पार्ट–प्रथम (केवल सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना परिवारों हेतु)	01.09.2019	12.12.2019	राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी (आर. एस.एच.ए.ए.) द्वारा ट्रस्ट मोड पर	

योजना का नाम एवं चरण	योजना का वर्ष	योजना प्रारम्भ की दिनांक	योजना समाप्ति की दिनांक	संचालन मोड	प्रीमियम दर प्रति परिवार प्रति वर्ष
	पार्ट–द्वितीय	13.12.2019	29.01.2021	आर.एस.एच.ए.ए. द्वारा ट्रस्ट मोड पर	–
	पार्ट – तृतीय	30.01.2021	30.04.2021	बीमा मोड (न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमि. द्वारा)	1662 / – रू.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना	प्रथम फेज	01.05.2021	29.01.2023	बीमा मोड (न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमि. द्वारा)	1662 / – रू.
	द्वितीय फेज	30.01.2023	लगातार		1965 / – रू.

भौतिक प्रगति – (दिनांक 09.01.2024 को पोर्टल पर उपलब्ध सूचनानुसार)

S.N.	Item	Unit	AB-MGRSBY (Trust Mode)	AB-MGRSBY (Insurance Mode)	AB–MMCSBY (Insurance Mode)
			1 सितम्बर 2019 से 29 जनवरी 2021 तक	30 जनवरी 2021 से 30 अप्रेल 2021 तक	1 मई 2021 से 31 दिसम्बर 2023 तक
1	उपचारित मरीज (Treated Patients)	व्यक्ति (इकाई)	10,20,262	93,378	62,63,113
2	प्रस्तुत बीमा दावें (Claims Submitted)	संख्या	17,34,914	1,39,988	1,27,32,049
		राशि (करोड रू.)	945.26	110.19	6,867.35
3	अनुमोदित बीमा दावें (Approved Claims)	संख्या	16,00,916	1,34,422	1,14,02,305
		राशि (करोड रू.)	863.37	107.10	6,318.23
4	भुगतान किये गये दावें (Paid Claims)	संख्या	15,92,684	1,33,998	1,10,19,709
		राशि (करोड रू.)	861.83	106.77	6,105.34

वित्तीय प्रावधान–योजना हेतु गत वर्षो का राज्य सरकार द्वारा प्राविधित बजट प्रावधान एवं व्यय (वित्तीय वर्षवार) –

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान राशि (करोड़ में)	व्यय राशि (रू. करोड़ में)
1	2020–2021	350.00	350.00
2	2021–2022	1463.39	1463.39
3	2022–2023	1850.00	1850.00
4	2023–2024 (माह अप्रेल 2023 से दिसम्बर 2023 तक)	2100.00	1720.00

18 आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण

प्रस्तावना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 की अनुपालना में शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प0 22(01)चिस्वा/2/2021 दिनांक 08.10.2021 के द्वारा Directorate of Food Safety बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा 01 जनवरी 2022 से आयुक्त के पद पर आई.ए.एस. अधिकारी पदस्थापित किये गये।

तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 की अनुपालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के आदेश कमांकः प.14(1) चिस्वा/2/2022 जयपुर दिनांक 05.04.2022 खाद्य सुरक्षा निदेशालय एवं औषधि नियन्त्रण संगठन का आमेलन करते हुए **आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण** कर दिया गया है।

आयुक्तालय में इस प्रकार 02 विंग यथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण कार्य कर रही है। इन विंग का कार्य निम्न प्रकार संचालित किया जाता है :–

लाईसेन्सिग गतिविधि :– उक्त गतिविधि में संबंधित व्यवसायी से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर एक्ट के अनुसार लाईसेन्स दिये जाने एवं नवीनीकरण का कार्य नियमानुसार किया जाता है।

एनफोर्समेन्ट गतिविधि :– उक्त गतिविधि में तीन तरह की कार्यवाही की जाती है यथा : सैम्पलिंग, निरीक्षण एवं सीजर की कार्यवाही।

आईईसी :– राज्य की जनता को जागरूक करने के उददेश्य से विभिन्न प्रकार की आईईसी गतिविधियां भी संचालित की जा रही है, यथा :– अखबार में विज्ञापन, एफएम रेडियो पर जिंग्लस के माध्यम से प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार, हॉर्डिंग्स लगाना, पोस्टर्स एवं पम्पलेट्स का वितरण इत्यादि कार्यवाही की जाती है।

खाद्य सुरक्षा विंग का मुख्य कार्य :–

- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 में निहित प्रावधानों अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
- 05.08.2011 से खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 प्रारम्भ हो गया है, जिसके अर्न्तगत कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को भारत सरकार से प्राप्त नवीनतम दिशा–निर्देशानुसार खाद्य पदार्थो की जांच एवं गुणवत्ता बनाये रखने हेतु तथा मिलावटियों को दण्डित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है।

फूड लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन

- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारी को खाद्य लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। अन्यथा खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
- 12 लाख रूपये से कम प्रति वर्ष टर्नओवर वाले खाद्य कारोबारी के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है जिसका शुल्क 100 रूपये प्रतिवर्ष है।
- 12 लाख रूपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबारी के लिए खाद्य लाईसेंस का प्रावधान है, जिसका शुल्क 2000 रूपये से 7500 रूपये तक वार्षिक है।

मिलावटियों के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान

- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की **धारा 51 के** अन्तर्गत **अवमानक** **(Substandard)** पाये गये प्रकरणों में अधिकतम **5.00 लाख रूपये तक** की जुर्माना का प्रावधान हैं तथा प्रकरण को संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के यहॉ पेश किया जाता है।
- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की **धारा 52 के** अन्तर्गत अपमिश्रित **(Misbranded)** पाये गये प्रकरणों में अधिकतम **3.00 लाख रूपये** तक की जुर्माना का प्रावधान हैं तथा प्रकरण को संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के यहॉ पेश किया जाता है।
- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की **धारा 53 के** अन्तर्गत भ्रामक **(Misleading)** पाये गये प्रकरणों में अधिकतम **10.00 लाख रूपये** तक की जुर्माना का प्रावधान हैं तथा प्रकरण को संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के यहॉ पेश किया जाता है।
- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की **धारा 59 के** अन्तर्गत असुरक्षित **(Unsafe)** पाये गये प्रकरणों में **6 माह** से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा एवं **10.00 लाख** रूपये तक की जुर्माना प्रावधान हैं तथा प्रकरण को संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहॉ पेश किया जाता है।

❖ **जांच हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की व्यवस्था**

- वित्तीय वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा में राज्य में 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत किये गये है, जिनकी भर्ती हेतु आरपीएससी द्वारा दिनांक 27 जून 2023 को परीक्षा आयोजित की गई जिसका परिणाम जारी नहीं हुआ।
- पूर्व में स्वीकृत 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती भी आरपीएससी में प्रक्रियाधीन है।
- नियमित 398 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के उपलब्ध होने तक वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत् सभी जिलों में विभाग के विभिन्न संवर्गो के 98 कर्मचारियों को **खाद्य सुरक्षा अधिकारी** की शक्तियॉ प्रदत्त कर कार्य क्षेत्र में कार्य करवाया जा रहा है। प्रत्येक अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को माह में 10 एन्फोर्समेंट एवं 30 सर्विलैन्स नमूने लिये जाने व 10 संस्थानों के निरीक्षण का लक्ष्य आवंटित किया गया है।
- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के तहत जॉच हेतु लिये गये नमूनों में से सबस्टैण्डर्ड/मिसब्राण्डेड/अनसैफ पाये गये नमूनों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Year	No. of Inspections	Samples Taken	Sub-Standard	No. Of Subbmit In ADM Court	No. Of Decided In ADM Court	Penalty
2022	**13456**	**14052**	**3749**	**2806**	**1755**	**7.11 Crore**
2023	**20810**	**31138**	**4357**	**3857**	**2421**	**5.74 Crore**

❖ **जांच व्यवस्था**

- राज्य में कुल 11 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बांसवाडा, जालोर व चूरू) स्थापित है, जिनमें से 11 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बांसवाडा, चूरू एवं जालोर) कार्यशील है वर्तमान में उक्त प्रयोगशालाओं में Survilance Non Act के तहत नमूनों की जॉच का कार्य किया जा रहा हैं।
- बजट घोषणा की पालना में राज्य में 07 जिलों यथा सीकर, बारां, धौलपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, भीलवाडा एवं बाडमेर में खाद्य प्रयोगशालाओ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं 06 स्थानों (सीकर, बारां, धौलपुर, नागौर, श्रीगंगानगर एवं बाड़मेर) में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- राज्य में 09 मोबाईल खाद्य प्रयोगशालाएं (जयपुर–2, उदयपुर–1, भरतपुर–1, जोधपुर–2, बीकानेर–1, कोटा–1 एवं अजमेर–1) नियमित रूप से संचालित है। इनसे आमजन को जागरूक किया जा रहा है तथा मौके पर ही सर्विलान्स सैम्पलिंग का कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2022–23 के बजट में राज्य में 25 नई मोबाईल खाद्य जॉच प्रयोगशालाऐं स्वीकृत की गई एवं 03.08.2023 से क्रियाशील हो गयी है।
- राज्य मे फल एवं सब्जियों में **हैवी मेटल एवं पेस्टी साईड की जॉच** हेतु उपकरण, जॉच सामग्री केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर में स्थापना कर दी गई है एवं जयपुर में 2019 से हैवी मेटल एवं पेस्टी साईड की जॉच प्रारम्भ की जा चुकी है।
- वर्तमान में राज्य की कार्यरत एवं नवीन जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में रिक्त/स्वीकृत खाद्य विश्लेषकों के 15 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाकर 13 खाद्य विश्लेषको की नियुक्ति कर दी गई है।
- जॉच प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 35 ट्रेनी ऐनालिस्ट स्वीकृत है एवं 23 ट्रेनी ऐनालिस्ट (प्रशिक्षु) को अनुबन्ध पर रखा हुआ है।
- जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर व जोधपुर में भी GCMS(MS), LCMSMS, ICPMS की स्थापना हो चुकी है। जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (कोटा, अजमेर, अलवर, बीकानेर व बांसवाडा) में जॉंच हेतु GC व अन्य उपकरण उपलब्ध कराये गये है।
- राज्य में केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर में माईक्रोबाईलोजी लैब की स्थापना की जा रही है।
- यदि कोई व्यक्ति किसी भी खाद्य पदार्थ की जॉच अपने स्तर से करवाना चाहता है तो निर्धारित शुल्क 1000/–रू. जमा करावाकर राज्य की खाद्य प्रयोगशालाओं में जॉच करवाई जा सकती है।

❖ **जांच रिपोर्ट की समय सीमा**

- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 में नमूनों की जॉच रिपोर्ट जारी करने की अधिकतम अवधि 14 दिवस निर्धारित है, परन्तु आमजन के स्वास्थ्य को घ्यान में रखते हुए जॉच रिपोर्ट अधिकतम अवधि से कम अवधि में ही उपलब्ध कराई जा रही है।

❖ **विशेष अभियान**

- **समय–समय पर विशेष अभियान चलाकर भी क्षेत्र में मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री/निर्माण को रोकने की कार्यवाही की जाती है।**
- राज्य में **''शुद्ध के लिए युद्ध''** अभियान दिनांक 01 जनवरी 2022 से निरन्तर संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विशेष अवसरों एवं त्यौहारों जैसे दीपावली, होली, ग्रीष्म ऋतु एवं पर्यटन सीजन के साथ–साथ होटलों एवं रेस्टोरेन्टों के निरीक्षण हेतु विशेष अभियान चलाये जा रहे है।
- वर्तमान वर्ष से कोमोडिटी बेस अभियान भी चलाना प्रारम्भ किया गया है।
- Reused Cooking Oil पर भी अभियान चलाना प्रारम्भ किया गया है।
- मिड डे मिल योजनान्तर्गत विद्यालयों में वितरित किये जा रहे मिड डे मिल का परीक्षण करवाये जाने के संबंध में विभाग द्वारा समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रतिमाह निरीक्षण/नमूनीकरण के निर्देश जारी कर नमूनीकरण कार्य करवाया जा रहा है।

अन्य बिन्दु

खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण :–राज्य में खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, क्रियाशील है तथा अधिकरण में माननीय न्यायाधीश पदस्थापित है।

- **राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय एडवाईजेरी कमेटी** :–राज्य में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय एडवाईजेरी कमेटी संचालित है

मुखबिर योजना

- राज्य सरकार द्वारा नवाचार करते हुए राज्य में **"शुद्ध के लिए युद्ध–मुखबिर योजना 2022"** दिनांक 10 अक्टूबर 2022 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखते हुए नमूने अनसेफ पाये जाने पर मुखबिर को 51000 रूपये व सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5000 रूपये का पुरस्कार लेब की अंतिम रिपोर्ट पर दिये जाने की घोषणा की गई है।

राज्य में प्रथम बार आयोजित गतिविधियां :–

- देश में प्रथम बार राज्य में 37 कस्तूरबा गांधी आवास विधालयों को एक कलस्टर के रूप में Eat Right School Initiative के अन्तर्गत FSSAI से सर्टिफिकेट जारी किया गया है। शेष 279 कस्तूरबा गांधी आवास विधालयों को Eat Right School Initiative के अन्तर्गत FSSAI से सर्टिफाईड कराने की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है।
- मोती डूंगरी गणेश मन्दिर, जयपुर एवं बोहरा गणेश मन्दिर, उदयपुर को BHOG (Blissful Hygiene offering to GOD) Initiative के अन्तर्गत FSSAI सर्टिफिकेट जारी किया गया है।
- मसाला चौक एवं जयपुर चौपाटी मानसरोवर एवं प्रतापनगर को Clean Street Food Hub Initiative के अन्तर्गत FSSAI सर्टिफिकेट जारी किया गया है।
- पाली, कोटा एवं उदयपुर जिले में Walkathon & Eat Right Mela आयोजित किये गये है।
- अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं जयपुर में **Walkathon & Eat Right Millet Mela** आयोजित किये गये है।
- 35 सर्किट हाउस Eat Right Campus घोषित किये गये है।
- जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर एवं कोटा Eat Right Station प्रमाणीकरण किया गया है।

औषधि नियंत्रण विंग का मुख्य कार्य

राजस्थान सरकार द्वारा औषधि नियंत्रण संगठन और खाद्य सुरक्षा निदेशालय को आमेलित कर दिनांक 05.04.2022 को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय स्थापित किया गया।

आयुक्तालय की औषधि नियंत्रण विंग के स्तर पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों की पालना करवानें हेतु 02 औषधि नियंत्रक, 37 सहायक औषधि नियंत्रक एवं 116 औषधि नियंत्रण अधिकारी के वर्तमान में सृजित पदों में से 02 औषधि नियंत्रक, 37 सहायक औषधि नियंत्रक (1 सहायक औषधि नियंत्रक निलम्बित) एवं 100 औषधि नियंत्रण अधिकारी (2 औषधि नियंत्रण अधिकारी निलम्बित) विभिन्न जिलों में पदस्थापित हैं। 16 औषधि नियत्रंण अधिकारियों के पद रिक्त हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक औषधि नियंत्रण अधिकारी के प्रतिमाह 6 नमूने लेने एवं 20 निरीक्षण करने के लक्ष्य निर्धारित किये हुये हैं। इसके अतिरिक्त 2–2 नमूने होम्योपैथिक व कॉस्मेटिक उठाने के प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित है।

विभागीय मुख्य गतिविधियॉ

- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की औषधि नियंत्रण विंग द्वारा हाल ही में एलर्जी की औषधि एविल इन्जेक्शन को नशे के रूप में दुरूपयोग करने की जानकारी प्राप्त होने पर औषधि विक्रेताओं पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए उनके औषधि अनुज्ञापत्र निरस्त किये गये तथा इस कार्यवाही में कडी से कडी जोडते हुये सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के साथ संयुक्त रूप से जयपुर के नामचीन मनोरोग चिकित्सक के घर पर छापामार कार्यवाही कर नशे के अवैध व्यापार का भण्डाफोड किया एवं

नारकोटिक्स विभाग द्वारा एन0डी0पी0एस0 श्रेणी की औषधियों को जब्त करते हुये नामचीन मनोरोग चिकित्सक को गिरफ्तार किया।

- भारत देश के विभिन्न राज्यों में से राजस्थान राज्य ही एक ऐसा राज्य है जिसने वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत Ease of Doing Business को प्राथमिकता देते हुए Inspection राज खत्म करने की दृष्टि से अनावश्यक inspections की प्रथा समाप्त कर Computerised Risk Based Analysis के आधार पर Random Roster से अधिकारियों का चयन कर ही Inspections करने की प्रक्रिया लागू की।
- Strengthening of Drug Regulatory System के तहत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में राशि उपलब्ध करवाने की सैद्धान्तिक सहमति उपरांत संपादित MOU एवं इस योजना के तहत राज्य के Drug Regulatory System हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन, सिविल कार्य, फर्नीचर, IT Support, वाहन इत्यादि की उपलब्धता की गयी।
- आमजन को गुणवत्तायुक्त औषधियां उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण कर शीध्र चालू किये जाने की कार्यवाही की गयी तथा राजस्थान देश का प्रथम राज्य है ,जहॉ इस प्रकार की 4 प्रयोगशालायें में से 03 प्रयोगशालायें वर्तमान में कार्यरत हैं तथा एक जोधपुर स्थित प्रयोगशाला को भी शीघ्र ही कार्यशील किया जावेगा। इन प्रयोगशालाओं के लिये 9 सहायक औषधि विश्लेषकों एवं 22 फार्मासिस्टों को पदस्थापित किया गया है।
- राज्य स्तर पर आयुक्तालय में PMRU स्थापित करने के लिए एक नया घटक शुरू किया हैं। PMRU जमीनी स्तर पर सूचना एकत्र करने के तंत्र के साथ NPPA के प्रमुख सहयोगी भागीदार हैं। वर्तमान में PMRU के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा हैं कि DPCO के लाभ जमीनी स्तर पर मिलें।
- नशे के रूप में दुरूपयोग की जाने वाली एन0डी0पी0एस0 श्रेणी की औषधियों के क्रय–विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सूचना एवं प्रोधौगिकी विभाग की सहायता से ऑन लाईन पोर्टल विकसित किया गया।
- मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत राजकीय अस्पताल अलवर, चितौडगढ एवं श्रीगंगानगर के ब्लड सेन्टर में रक्त अवयव निर्माण के लिये औषधि अनुज्ञापत्र जारी किये गये।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की औषधि नियंत्रण विंग के द्वारा किये गये अन्य विभिन्न कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

क. सं.	विवरण	वर्ष 2023–2024 (अप्रेल 2023 से दिसम्बर 2023 तक)
01	राज्य में कुल निर्माण इकाईयां :– बल्क ड्रग/फॉरमुलेशन/मेडिकल डिवाइस, लोन लाइसेन्स इत्यादि	427
02	राज्य में कुल ब्लड सेन्टर (राजकीय ब्लड सेन्टर–65, निजी एवं ट्रस्ट–187)	252
03	राज्य में कुल ब्लड स्टोरेज सेन्टर	128
04	राज्य में कुल विक्रय ईकाइयां	58478
05	निर्माण, ब्लड सेन्टर एवं विक्रय इकाईयों के कुल निरीक्षण	16896
06	कुल नमूने जॉच हेतु लिये गये	4540
07	जॉच रिपोर्ट प्राप्त	5366
08	अवमानक घोषित जॉच रिपोर्ट	79
09	विक्रय लाइसेन्स निरस्त किये गये (कमियां पाये जाने के कारण)	329
10	विक्रय लाइसेन्स निलम्बित किये गये	3304
11	राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन कुल वाद	1091

19 भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है एवं राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ कहीं पठार तो कहीं मरूस्थल है, जिससे दुर्गम स्थान एवं अनभिज्ञता के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी अपना इलाज कराने में असमर्थ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार ने 1956 में राजस्थान की ग्रामीण असहाय निर्धन जनता को उनके द्वार पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई की स्थापना की गई । यह इकाई एशिया की अपनी तरह की एक मात्र इकाई है। राज्य स्तरीय भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई **500 शैय्याओं** का चलता फिरता "अ" श्रेणी के अस्पताल के रूप में कार्यरत है, जिसमें "अ" श्रेणी के अस्पताल की सभी सुविधाऍ व विशिष्ट सेवायें उपलब्ध है एवं **आवश्यकता पड़ने पर इसे 1000 शैय्याओं एवं इससे अधिक भी बढ़ाने की क्षमता है।** इकाई राजस्थान के दूर–दराज के आदिवासी/जनजाति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर रोगियों को चिकित्सा सुविधा उनके घर द्वार के समीप ही नियमित रूप से उपलब्ध कराती आ रही है।

इकाई का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर गरीब आदिवासी, जनजाति क्षेत्रों के असहाय रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाकर उनका इलाज करना हैं। इकाई द्वारा आयोजित प्रत्येक चिकित्सा शिविर में पूर्ण रूप से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, आवास व रहने की तथा खाने पीने की व्यवस्था भी स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है, क्योंकि चिकित्सा शिविरों का आयोजन स्थानीय स्वंयसेवी संस्थाओ/एन.जी.ओ. के सहयोग से आयोजित किये जाते है। शल्य चिकित्सा शिविरो का आयोजन माह अगस्त/सितम्बर से आगामी वर्ष के माह मई तक किया जाता है। उक्त चिकित्सा शिविरों में प्रायः सभी प्रकार के ऑपरेशन किये जाते है जैसेः–स्किन की गांठे, ऑचल की गांठ, पेट के हर्निया एवं गांठें, एपेन्डिक्स हर्निया, पित्त की थैली (कोलिसिस्टेक्टोमी) गुर्दे की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी वरिकोसील, यू.डी.टी. स्त्री रोग में हिस्ट्रेक्टोमी डी0एन0सी0 एवं बॉझपन का इलाज, नाक, कान, गला की मेजर शल्य चिकित्सा क्रियाएँ, ऑखों में मोतियाबिन्द एवं लेन्स प्रत्यारोपण आदि शिविरों में की जाती है। हड्डी रोग व दन्त ऑपरेशन आदि किये जाते हैं। टी.बी. अस्थमा, शिशु रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा जॉच विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा की जाती है। अप्रेल से अगस्त तक दूरदराज के क्षेत्रों में ओ0पी0डी0 शिविर लगाये जाते है। जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, मरूस्थलीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत महिलायें लाभान्वित होती हैं।

नवीनतम कार्यक्रम जो वर्ष 2023–24 से प्रारम्भ किये गये हैं जो निम्नांनुसार हैं:–

शिविर अवधि के अलावा इकाई में राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, एम.डी.रोड़, जयपुर में निःशुल्क ऑपरेशन, प्रसूति, मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना, डॉट्स मरीजों को दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक कुल 88 मरीजों को नियमित रूप से डॉट्स के तहत दवाइयॉ उपलब्ध कराई गई।

राज्यस्तरीय भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर द्वारा चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 137668 रोगियों की बहिरंग में चिकित्सा जॉच कर दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक 1754 नेत्र ऑपरेशन व 290 शल्य ऑपरेशन किये गए।

इकाई के अधीन राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय में दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक बहिरंग में 131439 रोगियों की जॉच कर 509 नेत्र ऑपरेशन व 493 शल्य ऑपरेशन किये गये।

इकाई में संचालित गतिविधियों हेतु दिसम्बर 2023 तक बजट आयोजना व आयोजना भिन्न (राज्य निधि) मदों में कुल आवंटित राशि 1822.93 लाख रूपये मे से राशि रूपये 1471.23 लाख का व्यय किया गया है। राज्य आयोजना मद में कुल प्रावधान 531.58 लाख रूपये में से अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ठ संगठक योजना पर 181.89 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना मद में 94.46 लाख रूपये व्यय किये गये है।

स्वीकृत व रिक्त पदों की स्थिति			
भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई एवं राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, जयपुर के पदों का विवरण	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**कार्यरत पदो की संख्या**	**रिक्त पदों की संख्या**
	212	109	103

भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाईयों की प्रगति वर्ष 2023–24 (31 दिसम्बर, 2023 तक)

क्र.सं.	**इकाईयों का नाम**	**शिविर की संख्या**	**आउटडोर**	**नेत्र ऑपरेशन**	**शल्य ऑपरेशन**	**कुल ऑपरेशन**
1	**भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राज0 जयपुर (शिविर)**	**जनरल–02 मिनी जन–04 वन्डे–0**	**6229**	**1754**	**290**	**2044**
2.	**सिटी अस्पताल भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर**	**–**	**131439**	**509**	**493**	**1002**

20 समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) एवं स्वाईन फ्लू तथा कोविड–19

उद्देश्य

संचारी एवं गैर संचारी रोगों की नियमित निगरानी द्वारा वर्तमान में उपस्थित स्वास्थ्य परिसंकट पर नियन्त्रण किया जाना इसका मूलभूत उद्धेश्य है। भारत सरकार द्वारा विकसित संचार तन्त्र (वर्तमान में IHIP Portal) के माध्यम से उप स्वास्थ्य केन्द्रों तक से रियल टाईम आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाता है एवं राज्य, जिला स्तर पर जिला सर्वेलेन्स कमेटियों का गठन तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक सर्वेलेन्स यूनिटों की स्थापना की गई हैं।

उपलब्धियां

राज्य, जिला स्तर पर किए गए वर्षवार प्रशिक्षणः–

प्रशिक्षण	लक्ष्य	उपलब्धि	वर्ष
कोविड महामारी के कारण प्रशिक्षण नहीं हुए। (ऑन लाईन प्रशिक्षण करवाये गये)	–	–	**2020**
Online IHIP प्रशिक्षण उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.) समस्त बीसीएमओ, डीपीएम, डीएनओ (एनएचएम), ऐपीडेमियोलोजिस्ट, डाटा मैनेजर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं एएनएम	33 जिले	33 जिले	
Three days Hand on training for Microbiologist and LT	33 जिले	30 जिले	**2021**
3x3 Epidemiology Workshop for Public Health Workforce for Dy. CMHO(H), SMO, MO, District Epidemiologist (IDSP) & District Microbiologist (IDSP)	16 जिले	37	
3x3 Epidemiology Workshop for Public Health Workforce for Dy. CMHO(H), SMO, MO, District Epidemiologist (IDSP) & District Microbiologist (IDSP)	17 जिले	39	
IHIP Portal प्रशिक्षण, डाटा मैनेजर	26	22	**2022**
IHIP Portal प्रशिक्षण, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	37	26	
IHIP Portal प्रशिक्षण, चिकित्सा अधिकारी	68	58	
IHIP Portal प्रशिक्षण, नर्स एवं फार्मासिस्ट	100	89	
नर्स एवं फार्मासिस्ट	33 जिले	42	
चिकित्सा अधिकारी	33 जिले	31	
आईएचआईपी डाटा मैनेजर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	62	58	
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.)ऐपीडेमियोलोजिस्ट एवं माईक्रोबॉयोलोजिस्ट	71	66	**2023**
नर्स एवं फार्मासिस्ट	33 जिले	75	
चिकित्सा अधिकारी	33 जिले	30	

आउटब्रेक

क्र.स.	वर्ष	कुल आउटब्रेक की संख्या
1	2020	03
2	2021	01
3	2022	21
4	2023 (दिसम्बर,2023 तक)	16

संविदा आधारित स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	एपीडिमीयोलोजिस्ट	35	27	8
2	माईक्रोबायोलोजिस्ट	15	11	4
3	एन्टॉमोलोजिस्ट	1	1	0
4	सलाहकार (वित्त)	1	1	0
5	डाटा मैनेजर	35	26	9
6	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	41	37	4
7	लैब टैक्नीशियन	11	1	10
8	लैब असिस्टेन्ट	1	1	0
9	लैब अटेण्डेन्ट	10	1	9

गतिविधियॉ

- कोविड–19 महामारी की दैनिक रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग नियमित की जा रही हैं।
- प्रति वर्ष जिला स्तरीय अधिकारियों, ऐपीडेमियोलोजिस्ट, माईक्रोबायोलोजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, एलटी, एएनएम, आशा आदि को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता हैं।
- राज्य एवं जिला स्तरीय रेपिड़ रेस्पोन्स टीमों का प्रशिक्षण एवं गठन किया गया है। जिले में आउटब्रेक की सूचना प्राप्त होते ही इन टीमों के द्वारा जांच एवं नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है।
- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित IHIP पोर्टल में रियल टाईम सर्वेक्षण डाटा की नियमित मॉनिटरिंग एवं रिर्पोटिंग की जा रही हैं।
- डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हैल्थ लैब (डीपीएचएल) 11 जिला चिकित्सालयों यथा– अजमेर, झुन्झुनू, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, सीकर एंव नागौर में स्थित जिला प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयन कर सुदृढ़ीकरण किया गया है। सात मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं को भी रेफरल नेटवर्क के रूप में स्थापित किया गया है। अलवर, करौली, चित्तौडगढ़, दौसा, बून्दी, राजसमन्द, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, बांसवाडा, बारां, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जालोर, सिरोही एवं श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालयों में स्थित 16 जिला प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाधीन हैं।
- **वित्तीय प्रगति**

(राशि रूपये लाखों में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृति	व्यय राशि
2020-2021	203.95	102.00
2021-2022	735.64	608.99 (एचआर सहित)
2022-23	645.56	501.53
2023-2024 (दिसम्बर 2023 तक)	161.85	90.00

स्वाईन फ्लू –इन्फ्लूएन्जा ए (H1N1)

स्वाईन फ्लू रोग की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है :–

- स्वाईन फ्लू रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय एवं प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा समय–समय पर राज्य, सम्भाग एवं जिला स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई हैं तथा ब्लॉक स्तर तक वीडियों क्रान्फ्रेसिंग के द्वारा समीक्षा की गई।
- स्वाईन फ्लू पॉजिटिव रोगी पाये जाने पर प्रभावित क्षेत्रों में तुरन्त रेपिड रेस्पोंस टीमो द्वारा स्क्रीनिंग करवाकर Influenza Like Illness (ILI) लक्षण (तेज बुखार, जुखाम, सिरदर्द, गले में खरास) वाले रोगियों का तुरन्त उपचार करवाया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं एवं 5 वर्ष से छोटे बच्चों में सर्दी, जुखाम एवं बुखार के लक्षण पाये जाने पर तुरन्त टेमीफ्लू दवा दी जाती है।
- स्वाईन फ्लू के सभी मरीजों के इलाज के लिये प्रत्येक राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तर पर एक Dedicated Medical Unit का गठन किया गया है। जिसमें Medicine, Anesthesia, Chest and TB के वरिष्ठ आचार्य के नैतृत्व में इन्ही विभागों के सह आचार्य एवं सहायक आचार्यो के द्वारा लगातार उपचार किया जाता है।
- स्वाईन फ्लू इलाज के लिए सभी चिकित्सालयों में अलग से आउट डोर, जिला अस्पतालों व मेडिकल से सम्बद्ध अस्पतालों में अलग से आईसोलेशन वार्ड, आईसीयू एवं वेन्टीलेटर्स की व्यवस्था की गयी।
- राज्य में स्वाईन फ्लू की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जिलों को स्वाईन फ्लू की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं। जिसके अन्तर्गत दवा, वीटीएम, पीपीई, एन 95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, आईसोलेशन वार्ड, आईसीयू, सैम्पल कलेक्शन सुविधा, आरआरटी, कन्ट्रोल रूम, आईईसी एवं स्क्रीनिंग आदि की सुविधा हेतु पाबन्द किया गया।
- राजस्थान में जांच की सुविधा 11 प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है, 7 मेडिकल कॉलेज (जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर एवं झालावाड) एवं डी.एम.आर.सी. **(Desert Medicine Research centre)** जोधपुर एवं तीन निजी लैब (डॉ लालपेथ, एसआरएल एवं बी लाल)।
- जिला अस्पतालों के चिकित्सकों को वेन्टीलेटरर्स को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को आरएमआरएस मद से वैक्सीन क्रय कर मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को लगाये जाने हेतु निर्देश दिये गये तथा सैम्पल कलेक्शन हेतु आरएमआरएस मद से वीटीएम खरीद कर उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत् पाबन्द किया गया।
- जिला अस्पतालों के अप्रशिक्षित पेथोलॉजिस्ट एवं लैब टेक्नीशियन हेतु सैम्पल कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशनर्स को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया है।
- स्वाईन फ्लू के मरीजों के उपचार हेतु जिला अस्पतालों, सब डिविजन अस्पतालों, सैटेलाइट अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर बेड मय आवश्यक उपकरण एवं स्टाफ आरक्षित कर आइसोलेशन वार्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक स्थापित किये गये है।
- राज्य के सभी जिलो में 24X7 कन्ट्रोल रूम स्थापित कर दिये गये है। राज्य स्तर पर टोल फ्री नं. 104 एवं 0141–2225624 कार्यरत है।
- **राज्य में रोग की स्थिति**

वर्ष	कुल नमूने	पोजीटिव	नेगेटिव	मृत्यु
2020	5436	116	5320	1
2021	170	20	150	1
2022	3304	365	2939	11
2023 (31 दिसम्बर तक)	5625	127	5498	0

कोरोना वायरस (COVID-19)

कोविड 19 विश्व महामारी ने सभी देशो को प्रभावित किया है और प्रतिदिन उसके प्रकोप के दुष्परिणाम सामने आ रहे है। सम्पूर्ण भारत व राजस्थान में इसका प्रकोप है। प्रदेश में कोविड–19 के सम्बन्ध में बचाव, नियंत्रण, प्रचार–प्रसार, जांच, उपचार, क्वारेनटाइन सेन्टर एवं आईसोलेशन वार्ड आदि के माध्यम से विभिन्न गतिविधियॉ निरंतर की जा रही है। राज्य में प्रथम कोरोना पॉजिटिव केस दिनांक 02.03.2020 इटली निवासी का जयपुर में पाया गया था। प्रदेश में कोविड 19 से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति एवं की जा रही गतिविधिया निम्न प्रकार है–

वर्तमान स्थिति :–

- **केसेजः**– दिनांक 31.12.2023 तक राज्य में कुल **1326530** COVID-19 पॉजिटिव पाये गये जिनमे से **9737** मृत्यु हुई है।
- **जांच सुविधा एवं परिणामः**–राज्य में 79 केन्द्रों पर कोरोना वायरस COVID-19 हेतु जॉच की सुविधा उपलब्ध है तथा अब तक 22103435 व्यक्तियों की जांच की गई, इनमें से **कुल 1326530 पॉजिटिव** पाये गये।
- **कान्टेक्ट ट्रेसिंगः**–आज तक **1326530 पॉजिटिव** पाये गये रोगियों के संपर्क में आये **19527428** व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करते हुये लक्षणों के आधार पर **735287** सम्पर्क में आये व्यक्तियों के नमूने लिये गये।
- **अन्य विशेषः**–जिला कलेक्टर को कोविड–19 हेतु जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है, राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 1957 के अन्तर्गत कोविड–19 को नोटिफायबल रोगो की सूची में सम्मिलित किया गया है। समाचार पत्रो/फ्लैक्स/बेनर/ पेम्प्लेट/रेडियो/सर्वे के दौरान व्यक्तिशः आदि माध्यमो से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है पोजिटिव केसेज क्षेत्र में कंटेन्मेट प्लान के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

21 राष्ट्रीय वायरल हैपेटाईटिस नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वायरल हैपेटाईटिस नियंत्रण कार्यक्रम राज्य में वर्ष 2019 में प्रारम्भ किया गया।

कार्यक्रम के उद्देश्यः–

- वर्ष 2030 तक हैपेटाइटिस सी का उन्मूलन
- हैपेटाइटिस बी एवं सी होने वाली मृत्युओं एवं रोगों से होने वाली जोखिम जैसे लीवर कैंसर में कमी लाना
- हैपेटाइटिस ए एवं ई से होने वाली मृत्युओं, रोगों एवं जोखिम मे कमी लाना

कार्यक्रम अंतर्गत अर्जित की गयी उपलब्धियाँ :–

- राज्य स्तर पर स्टेट वायरल हैपेटाईटिस नियंत्रण मेनेजमेन्ट यूनिट की स्थापना कर दी गयी है।
- कार्यक्रम अंतर्गत हैपेटाइटिस जॉच एवं उपचार के लिये 04 मेडिकल कॉलेज – जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, एवं अजमेर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्टेट लैब तथा उक्त 04 मेडिकल कॉलेज सम्बद्ध अस्पताल के गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी विभाग में मॉडल ट्रीटमेंट सेन्टर का संचालन किया जा रहा है।
- राज्य में 35 जिला अस्पतालों में ट्रीटमेंट सेन्टर का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2023–24 की उपलब्धियां

हेपेटाइटिस–बीः– एनवीएचसीपी अंतर्गत अप्रैल से दिसम्बर 2023 तक कुल 7.19 लाख रोगियों की हैपेटाइटिस बी की स्क्रिनिंग की गयी जिनमें 8826 हैपेटाइटिस बी पॉजिटिव रोगी पाये गये। जिनमे से 1094 रोगी वायरल लोड जॉच उपरान्त उपचार योग्य पाये गये। माह दिसम्बर, 2023 तक कुल 1602 हेपेटाइटिस बी रोगियों को उपचार पर रखा गया।

हेपेटाइटिस–सीः–एनवीएचसीपी अंतर्गत अप्रैल से दिसम्बर 2023 तक कुल 4.70 लाख रोगियों की हैपेटाइटिस सी की स्क्रिनिंग की गयी जिनमे 2459 हैपेटाइटिस सी पॉजिटिव रोगी पाये गये। जिनमे से 751 रोगी वायरल लोड जॉच उपरान्त उपचार योग्य पाये गये। माह दिसम्बर, 2023 तक कुल 755 हेपेटाइटिस सी रोगियों को उपचार पर रखा गया तथा 610 हेपेटाइटिस सी रोगियों का उपचार पूर्ण किया गया।

वित्तीय प्रगतिः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत कुल राशि रूपये 706.90 लाख में से 359.00 लाख का उपयोग कर लिया गया हैं।

कार्य योजनाः– 12 जनवरी, 2024 से 28 फरवरी, 2024 तक कुल 24781 जेल बंदियों, नारी निकेतन, किशोर गृह इत्यादि के आवासियों की हेपेटाइटिस– बी एवं सी की जॉच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा साथ ही जॉच में पॉजेटिव पाए गए रोगियों को उपचार से जोड़ा जाएगा।

22 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 'आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र' योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 891 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विभिन्न चरणों में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य के रूप में विकसित किया गया हैं। वर्तमान में 687 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में कार्यरत हैं।

इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों पर पर्याप्त स्टाफ, प्रसव हेतु आवश्यक उपकरण एवं औषधियों की उपलब्धता तथा आयुर्वेद चिकित्सक पदस्थापित कर योग सेवाऐं व आयुर्वेद पद्वति से उपचार करने की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 15 अगस्त, 2016 को आदर्श पीएचसी एवं वेलनेस सेन्टर के रूप में शुभारम्भ किया गया है।

	शुभारम्भ वर्ष	**आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या**
Phase 1	15 अगस्त, 2016	295
Phase 2A	11 जुलाई, 2017	286
Phase 2B	7 अप्रैल, 2018	310
	Total	**891**
Less	आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत (सितम्बर, 2023 तक)	204
	वर्तमान में संचालित आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	687

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर उपचारित किये गये रोगियों, प्रसव प्रयोगशाला जाँच एवं स्टाफ की उपस्थिति की सूचना निम्नलिखित Software द्वारा प्रेषित की जा रही है। जिसकी समीक्षा राज्य व जिला स्तर पर की जा रही है।

S.No.	**Software**	**Reports**
1	PCTS	OPD And Delivery
2	e Aushdhi	Staff Attendence, MNJY Test, Drugs Availbility
3	Rajdhara	Visit Data of PHCs

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों से ई–औषधि सॉफ्टवेयर एवं पीसीटीएस द्वारा निम्न प्रकार से रिपोर्टिंग की जा रही है :–

- ई–औषधि सॉफ्टवेयर पर आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा नियमित रूप से स्टाफ की उपस्थिति प्रेषित की जाती है, जिसका विश्लेषण कर स्टाफ की कमी की पूर्ति राज्य स्तर से की जाती है।
- ई–औषधि सॉफ्टवेयर पर निःशुल्क औषधियों एवं जाँच सुविधा की रिपोर्ट प्रेषित की जाती है, जिसका विश्लेषण कर नियमित जाँच सुविधा एवं औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।
- पीसीटीएस सॉफ्टवेयर द्वारा आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा आउटडोर एवं प्रसव भार की सूचना प्रेषित की जाती है, जिसका प्रतिमाह अनुभाग द्वारा विश्लेषण किया जाता है।
- जिला व खण्ड अधिकारियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रों की निरीक्षण रिपोर्ट राजधारा एप्लीकेशन के द्वारा Online प्रेषित की जा रही है।

भौतिक उपलब्धियॉ

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	लक्ष्य वर्ष 2023–24 (1 अप्रेल से 31, दिसम्बर, 2023 तक)	उपलब्धि (1 अप्रैल से 31, दिसम्बर 2023 तक)
OPD	1,85,49,000	92,34,544
DELIVERY	1,85,490	51,206

दिनांक 08.01.2024 को पीसीटीएस सॉफ्टवेयर के आधार पर सभी आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अप्रेल, 2021 से दिसम्बर, 2023 तक 3,42,49,378 करोड़ रोगियों को उपचारित किया गया एवं 2,48,037 लाख प्रसव कराये गये हैं।

वित्तीय प्रगति

Financial year	Original Received Amount		
	Budget Estimate	**Revised Estimate** संशोधित अनुमान	**Expenditure Amount Rupees in lakhs**
2020-21	300	100	84.00 Lakh
2021-22	300	400	100% Sanctioned and Transferd to PD Account for 47 PHCs
2022-23	300	300	Transferd to PD Account for 50 PHCs
2023-24	300	300	(A&F issue) Transfer in PD A/C Sanction is under process

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रुपये 300.00 लाख का प्रावधान प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है, किन्तु राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी (RSHS) के पीडी खाते में जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बजट घोषणा के अन्तर्गत लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं उनकी आज दिनांक तक क्रियान्वितिः–

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2021–22 की अनुपालना में राज्य में 199 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु अनुमोदन किया गया है। बीकानेर पूर्व की माननीया विधायिका महोदया द्वारा आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र का चयन नहीं किया गया हैं।
- 199 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 33 स्वास्थ्य केन्द्र यूपीएचसी/यूसीएचसी/एसडीएच आदि होने के कारण इन्हे आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का प्रावधान नहीं हैं। इस तरह वर्तमान में 166 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना हैं।
- 21 आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विकसित करने हेतु विधायक कोष की राशि की स्वीकृति/अनुशंषा प्राप्त हुई है। शेष आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विकसित करने हेतु निर्देशानुसार राज्य सरकार को बजट आवंटन हेतु पत्रावली प्रेषित की गई हैं।

23 स्वास्थ्य विभाग की जेण्डर प्रति संवेदी सूचना

समाज को सशक्त बनाने हेतु जेण्डर बजटिंग को अब एक महत्वपूर्ण साधन मानकर पुरूषों के साथ महिलाओं की विकास के क्षेत्र में समान भागीदारी मानी गई है। राज्य में जन सेवाओं का लाभ महिलाओं तक कितना व किस तरह पहुँच रहा है यह जानने के उद्वेश्य से राज्य सरकार ने जेण्डर बजट अंकेक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया इस हेतु चिन्हित विभागों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी सम्मिलित है।

उल्लेखनीय है कि जेण्डर बजटिंग का अभिप्राय महिलाओं के लिए पृथक से बजट आवंटन करना नहीं है अपितु महिलाओं की कठिनाईयों के निराकरण के साथ बुनियादी सुविधा क्षेत्रों के विस्तार हेतु बजट व्यवस्था को अभिनिर्धारित किया जाना है तथा उपलब्ध बजट की सीमा में जेण्डर (महिला एवं बालिकाओं) को लाभान्वित करते हुए आनुपातिक व्यय अपेक्षित है।

वर्ष 2023–2024 (दिसम्बर तक) में एड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित सूचना

1. गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लगभग 3291 नई महिला यौन कर्मियों को एच.आई.वी. संक्रमण की रोकथाम हेतु यौन व्यवहार परिवर्तन के लिए परामर्श, यौन रोग उपचार दिया गया एवं 1564790 कण्डोम निःशुल्क वितरण किये गये।
2. सरकारी एवं एन.जी.ओ. एस.टी.डी. क्लिनिकों पर 186478 महिला यौन रोगियों को निःशुल्क परामर्श, जांच एवं दवाईयाँ दी गई।
3. एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों पर 1861889 महिलाओं को एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धी जानकारी एवं परामर्श दिया गया, जिनमें से 1827633 महिलाओं की एच.आई.वी. जांच की गई।
4. ए.आर.टी. सेन्टर पर 1611 महिलाओं को एन्टी रिट्रो वायरल औषधियाँ निःशुल्क वितरित की गई।

विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लिंगानुसार लाभान्वित महिला एवं पुरूषों की स्थिति
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष	राजकीय एस.टी.डी. क्लिनिकों पर उपचारित किए गए एसटीआई/आरटीआई रोगियों की संख्या				
	पुरूष	महिला	अन्य	योग	महिलाओं का प्रतिशत
2020	32852	101408	11	134271	75.52
2021	21076	72792	05	93873	77.54
2022	36818	146331	16	183185	79.90
2023	48713	155672	19	204502	76.12

वर्ष	एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र (आई.सी.टी.सी.) की परामर्श से लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण				
	पुरूष	महिला	अन्य	योग	महिलाओं का प्रतिशत
2020	558339	1837197	1357	2396893	76.64
2021	359828	945049	145	1305022	72.42
2022	1090288	2727950	464	3818702	71.40
2023	1119146	2548064	353	3668369	69.46

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष	नये खोजे गए रोगी	पुरूष रोगी	महिला रोगी	महिला प्रतिशत
2020–2021	625	450	175	28.00
2021–2022	858	619	239	27.86
2022–2023	1267	916	351	27.70
2023–2024 (माह दिसम्बर,23 तक)	871	626	245	28.13

डेंगू

वर्ष	कुल उपचारित रोगी	पुरूष	महिला	लाभान्वित महिला प्रतिशत
2020	2023	1351	672	33.22
2021	20141	14061	6080	30.19
2022	12979	8436	4543	35.00
2023 (माह दिसम्बर, 23 तक)	13924	8512	5412	38.87

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, राजस्थान

वर्ष	उपचार पर रखे गये नये क्षय रोगी		योग	लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत
	पुरूष	महिला		
2020	90599	46696	137295	34.01
2021	99101	51876	150977	34.36
2022	119123	58254	177448	32.82
2023 (माह दिसम्बर, 23 तक)	107887	55474	163420	33.94

सारणी – 1

जिलेवार जनसंख्या–राजस्थान वर्ष 2011

क्र0 सं0	जिले का नाम	पुरूष	महिला	कुल
1	अजमेर	1324085	1258967	2583052
2	अलवर	1939026	1735153	3674179
3	बारां	633945	588810	1222755
4	बांसवाड़ा	907754	889731	1797485
5	बाड़मेर	1369022	1234729	2603751
6	भरतपुर	1355726	1192736	2548462
7	भीलवाड़ा	1220736	1187787	2408523
8	बीकानेर	1240801	1123136	2363937
9	बूंदी	577160	533746	1110906
10	चित्तौड़गढ़	783171	761167	1544338
11	चूरू	1051446	988101	2039547
12	दौसा	857787	776622	1634409
13	धौलपुर	653647	552869	1206516
14	डूंगरपुर	696532	692020	1388552
15	गंगानगर	1043340	925828	1969168
16	हनुमानगढ़	931184	843508	1774692
17	जयपुर	3468507	3157671	6626178
18	जैसलमेर	361708	308211	669919
19	जालोर	936634	892096	1828730
20	झालावाड़	725143	685986	1411129
21	झुन्झुनू	1095896	1041149	2137045
22	जोधपुर	1923928	1763237	3687165
23	करौली	783639	674609	1458248
24	कोटा	1021161	929853	1951014
25	नागौर	1696325	1611418	3307743
26	पाली	1025422	1012151	2037573
27	राजसमन्द	581339	575258	1156597
28	सवाई माधोपुर	704031	631520	1335551
29	सीकर	1374990	1302343	2677333
30	सिरोही	534231	502115	1036346
31	टोंक	728136	693190	1421326
32	उदयपुर	1566801	1501619	3068420
33	प्रतापगढ़	437744	430104	867848
	राजस्थान	**35550997**	**32997440**	**68548437**

सारणी–2

GOVERNMENT MEDICAL INSTITUTIONS (MODERN MEDICINE) (31.12.2023)

Under Directorate Of Medical And Health (Public Health)

S. No.	District	Hospital				Dispensary	CHC	MCWC	Primary Health Centre		Sub Health Center		Total
		DH	SDH	Sattellite	other				Rural	Urban	Rural	Urban	
1	Ajmer	3	2	0	3	12	27	7	76	4	439	0	573
2	Alwar	3	2	2	3	5	49	4	146	1	810	1	1026
3	Baran	1	3	0	0	2	17	0	47	0	314	1	385
4	Banswara	1	2	0	1	5	24	1	60	2	506	0	602
5	Barmer	1	4	0	1	3	35	3	122	0	894	1	1064
6	Bharatpur	0	3	0	3	4	32	3	82	0	478	0	605
7	Bhilwara	1	1	1	1	7	29	2	82	2	558	1	685
8	Bikaner	1	3	0	3	10	20	4	71	3	465	0	580
9	Bundi	1	1	0	1	2	17	3	30	1	227	0	283
10	Chittorgarh	2	5	1	1	3	21	3	54	3	412	1	506
11	Churu	1	4	0	2	4	20	5	99	4	487	1	627
12	Dausa	3	4	0	0	1	28	3	65	1	390	1	496
13	Dholpur	2	1	0	0	3	8	2	39	1	256	1	313
14	Dungarpur	1	0	0	1	2	23	0	63	0	416	1	507
15	Ganganagar	1	1	0	0	5	23	1	59	1	477	1	569
16	Hanumangarh	1	2	0	1	2	17	4	63	0	393	1	484
17	Jaipur	1	10	5	5	35	46	17	147	14	745	0	1025
18	Jaisalmer	2	0	0	1	5	11	1	30	0	211	0	261
19	Jalore	1	1	0	1	2	14	4	76	0	434	1	534
20	Jhalawar	0	0	1	1	3	15	3	42	0	354	0	419
21	Jhunjhunu	2	3	0	2	5	32	10	133	0	670	0	857
22	Jodhpur	2	4	4	3	11	37	4	109	10	748	0	932
23	Karauli	2	1	0	0	3	21	1	51	0	320	1	400
24	Kota	1	0	0	2	11	14	1	44	5	235	0	313
25	Nagaur	3	6	0	2	3	43	7	142	0	877	1	1084
26	Pali	0	2	0	1	5	29	11	92	1	479	1	621
27	Pratapgarh	1	0	0	0	3	10	0	32	0	250	1	297
28	Rajsamand	2	1	0	0	1	20	0	53	1	293	1	372
29	S. Madhopur	3	0	0	1	2	21	2	45	1	304	0	379
30	Sikar	2	4	0	1	6	41	9	126	0	732	1	922
31	Sirohi	2	0	0	1	3	12	1	30	0	249	1	299
32	Tonk	1	0	0	2	6	17	2	66	1	331	1	427
33	Udaipur	1	1	2	3	10	40	0	109	2	776	0	944
	Total	**49**	**71**	**16**	**47**	**184**	**813**	**118**	**2485**	**58**	**15530**	**20**	**19391**

DH- District Hospital, **SDH**- Sub Hospital, **MCWC**- Mother and Child welfare Center , **CHC**-Community Health Center

सारणी–3

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित जिलेवार संस्थाओं एवं अन्तरंग रोगी शैय्याओ की संख्या (दिसम्बर, 2023 तक)

क्र.सं.	जिले का नाम	नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	नवीन शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	नवीन शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत अन्तरंग रोगी शैय्याओं की संख्या
1	अजमेर	9	2	60
2	अलवर	5	0	0
3	बांसवाड़ा	1	0	0
4	बारां	1	0	0
5	बाड़मेर	2	0	0
6	भरतपुर	3	0	0
7	भीलवाड़ा	3	0	0
8	बीकानेर	7	2	60
9	बून्दी	1	0	0
10	चित्तौड़गढ़	2	0	0
11	चूरू	9	0	0
12	दौसा	4	0	0
13	धौलपुर	3	0	0
14	डूंगरपुर	1	0	0
15	गंगानगर	3	0	0
16	हनुमानगढ़	3	0	0
17	जयपुर प्रथम	25 (वर्तमान में 24 संचालित हैं)	3	90
18	जयपुर द्वितीय	10	1	30
19	जैसलमेर	1	0	0
20	जालौर	1	0	0
21	झालावाड़	2	0	0
22	झुन्झुनू	2	0	0
23	जोधपुर	7	2	60
24	करौली	3	0	0
25	कोटा	8	2	60
26	नागौर	6	0	0
27	पाली	2	0	0
28	प्रतापगढ़	1	0	0
29	राजसमन्द	2	0	0
30	सवाई माधोपुर	2	0	0
31	सीकर	6	0	0
32	सिरोही	2	0	0
33	टोंक	2	0	0
34	उदयपुर	4	1	30
कुल योग		143 (142 संचालित हैं)	13 (11 संचालित हैं)	390

नोटः– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (नवीन) मे अन्तरंग रोगी शैय्याओ का प्रावधान नहीं होता है।

सारणी – 4

जिलेवार संस्थान एवं शैय्याओं की स्थिति (31.12.2023)

क्र0 सं0	जिले का नाम	चिकित्सा संस्थानों की संख्या	शैय्याओं की संख्या	प्रति संस्थान सेवारत क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	प्रति संस्थान सेवारत जनसंख्या	प्रति शैय्या सेवारत जनसंख्या
1	अजमेर	573	2786	15	4508	927
2	अलवर	1026	3973	8	3581	925
3	बांरा	385	1567	18	3176	780
4	बांसवाड़ा	602	2035	8	2986	883
5	बाड़मेर	1064	2271	27	2447	1147
6	भरतपुर	605	2380	8	4212	1071
7	भीलवाड़ा	685	2090	15	3516	1152
8	बीकानेर	580	1579	52	4076	1497
9	बूंदी	283	1273	20	3925	873
10	चित्तौड़गढ़	506	2167	15	3052	713
11	चूरू	627	1994	22	3253	1023
12	दौसा	496	2248	7	3295	727
13	धौलपुर	313	1411	10	3855	855
14	डूंगरपुर	507	1384	7	2739	1003
15	गंगानगर	569	1679	19	3461	1173
16	हनुमानगढ़	484	1477	20	3667	1202
17	जयपुर	1025	5101	11	6465	1299
18	जैसलमेर	261	926	147	2567	723
19	जालौर	534	1484	20	3425	1232
20	झालावाड़	419	955	15	3368	1478
21	झुन्झुनू	857	2728	7	2494	783
22	जोधपुर	932	3252	25	3956	1134
24	करौली	400	1753	14	3646	832
23	कोटा	313	1061	17	6233	1839
25	नागौर	1084	3789	16	3051	873
26	पाली	621	1988	20	3281	1025
27	प्रतापगढ	297	1007	15	2922	862
28	राजसमन्द	372	1800	13	3109	643
29	सवाई माधोपुर	379	1817	12	3524	735
30	सीकर	922	3044	8	2904	880
31	सिरोही	299	954	17	3466	1086
32	टोंक	427	1570	17	3329	905
33	उदयपुर	944	2491	12	3250	1232
राजस्थान		**19391**	**68034**	**18**	**3535**	**1008**

नोटः– मेडिकल कॉलेजों (चिकित्सा शिक्षा विभाग) से संबंधित चिकित्सा संस्थान एवं शैय्याऐं सम्मिलित नहीं है।

सारणी–5

विगत तीन वर्षों की वार्षिक योजनाएं

क्र.सं.	विवरण	2020–21		2021–22		2022–2023		2023–2024	
		चिकित्सा पक्ष	एनयूएचएम अन्तर्गत	चिकित्सा पक्ष	एनयूएचएम अन्तर्गत	चिकित्सा पक्ष	एनयूएचएम अन्तर्गत	चिकित्सा पक्ष	एनयूएचएम अन्तर्गत
1	चिकित्सालय	107	–	129	–	148	–	183	
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	655	13	693	13	760	13 (9 संचालित)	813	13 (11 संचालित)
3	डिस्पेन्सरी	190	–	190	–	186	–	184	–
4	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	118	–	118	–	118	–	118	–
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण)	2147	–	2170	–	2267	–	2485	–
6	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	51	140	51	140 (संचालित–139)	57	143 (139 संचालित)	58	143 (142 संचालित)
7	उपकेन्द्र	14497	–	14423	–	14545	–	15550	–
8	शैय्याऐं	54877	390	57030	390	61898	390	68034	390
9	चिकित्सक	14358	–	15445	–	16566	–	18036	–
10	जनसंख्या (लाखों में)	685.49	–	685.49	–	685.49	–	685.49	–
11	बजट (लाखों में)	640374.55	–	720172.30	–	796692.13	–	838105.36	–

सारणी–6

निदेशक (जनस्वास्थ्य) के नियंत्रणाधीन मदों का आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2023–2024

(रूपये लाखों में)

लेखा शीर्षक	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2023–24			31 दिसम्बर 2023 तक (अनुमानित व्यय)		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा नियंत्रित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
राज्य निधि प्रतिबद्ध मद	318660.62	0.00	318660.62	203682.08	0.00	203682.08
राज्य निधि	371328.71	0.00	371328.71	329950.77	0.00	329950.77
2210– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास (महाराष्ट्र पैटर्न)	162.00	0.00	162.00	159.67	0.00	159.67
2210 / 4210–निशुल्क दवा वितरण निदेशक (जन स्वास्थ्य) के माध्यम से	19025.39	0.00	19025.39	14425.27	0.00	14425.27
2210 / 4210–निःशुल्क दवा वितरण आर.एम.एस.सी. के माध्यम से	80000.00	0.00	80000.00	40000.00	0.00	40000.00
2210– मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना	18838.33	0.00	18838.33	15863.17	0.00	15863.17
2210–भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210–निरोगी राजस्थान	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2210– जनता क्लिनिक	890.06	0.00	890.06	132.56	0.00	132.56
2059– लोक निर्माण	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
4210– पूंजीगत व्यय	28400.05	0.00	28400.05	11657.31	0.00	11657.31
4210–15 वीं वित्त आयोग	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
3055 एम.एम.जी.जे.आर.वाई.	500.00	0.00	500.00	1.60		1.60
3055 एम.एम.जी.जे.आर.वाई	-500.00	0.00	-500.00	0.00		0.00
योग	**838105.31**	**0.05**	**838105.36**	**615870.83**	**0.00**	**615870.83**

सारणी –7

प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश विवरण (31.12.2023)

क0सं0	संस्थान का नाम	केन्द्रों की संख्या	प्रवेश क्षमता	विशेष विवरण
1	राजकीय जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र	17	1060	सत्र 2023–2024 के लिए प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।
2	निजी जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र	160	7765	
3	राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	34	1650	

सारणी–8

चिकित्सकों (राजपत्रित) के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण (31-12-2023)

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	निदेशक	4	2	2
2	अतिरिक्त निदेशक	4	3	1
3	राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी	1	1	0
4	संयुक्त निदेशक (जोन–7 एवं मुख्यालय–14)	21	14	7
5	उप अधीक्षक	21	20	1
6	उप निदेशक	17	14	3
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	51	46	5
8	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी	51	36	15
9	अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)	37	28	9
10	प्रधानाचार्य	2	2	0
11	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)	14	11	3
12	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य)	54	36	18
13	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी	351	183	168
14	अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक	1	1	0
15	अतिरिक्त अधीक्षक	1	1	0
16	कोर्डिनेटर	1	1	0
17	उप नियन्त्रक	56	21	35
18	वरिष्ठ विशेषज्ञ समस्त	657	339	318
19	कनिष्ठ विशेषज्ञ समस्त	4392	2784	1608
20	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1318	942	376
21	चिकित्सा अधिकारी	10301	9194	1107
22	वरिष्ठ विशेषज्ञ दन्त	4	1	3
23	कनिष्ठ विशेषज्ञ दन्त	145	68	77
24	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी दन्त	12	10	2
25	चिकित्सा अधिकारी दन्त	520	315	205
कुल योग		**18036**	**14073**	**3963**

सारणी 9

विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (31.12.2023 की स्थिति में)

क्र. सं.	पद नाम	सीधी भर्ती /पदौन्नति	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	नर्सिंग अधीक्षक	पदौन्नति	377	31	346
2	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर	पदौन्नति	6587	3920	2667
3	नर्सिंग ऑफिसर	सीधी भर्ती	27348	21617	5731
4	ब्लॉक हैल्थ सुपरवाईजर	पदौन्नति	343	162	181
5	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	पदौन्नति	3040	951	2089
6	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सीधी भर्ती	22498	17414	5084
7	फार्मासिस्ट	सीधी भर्ती	4440	2040	2400
8	प्रधानाचार्य	पदौन्नति	15	1	14
9	उप प्रधानाचार्य	पदौन्नति	15	1	14
10	नर्सिंग ट्यूटर	सी.भ/पदौ.	522	277	245
11	पब्लिक हैल्थ नर्स	सीधी भर्ती	131	41	90
		NURSING TOTAL	**65316**	**46455**	**18861**
12	वरिष्ठ तकनिकी सहायक	पदौन्नति	468	207	261
13	तकनीकी सहायक	पदौन्नति	841	448	393
14	वरिष्ठ लेब टैक्नीशियन	पदौन्नति	1312	588	724
15	लेब टैक्नीशियन	सीधी भर्ती	4723	2005	2718
16	प्रयोगशाला सहायक	सीधी भर्ती	2221	1436	785
17	अधीक्षक रेडियोग्राफर	पदौन्नति	79	41	38
18	वरिष्ठ रेडियोग्राफर	पदौन्नति	318	195	123
19	रेडियोग्राफर	पदौन्नति	652	392	260
20	सहायक रेडियोग्राफर	सीधी भर्ती	1841	896	945
21	नेत्र सहायक	सीधी भर्ती	357	243	114
22	वरिष्ठ दंत टैक्नीशियन	पदौन्नति	6	0	6
23	दंत टैक्नीशियन	सीधी भर्ती	242	56	186
24	वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट	पदौन्नति	4	1	3
25	फिजीयोथेरापिस्ट	सीधी भर्ती	112	62	50
26	ऑक्यपूशनल थेरेपिस्ट	सीधी भर्ती	27	5	22
27	ईसीजी टैक्नीशियन	सीधी भर्ती	371	156	215
		PARAMEDICAL TOTAL	**13574**	**6731**	**6843**
28	संस्थापन अधिकारी	पदौन्नति	27	17	10
29	प्रशासनिक अधिकारी	पदौन्नति	82	20	62
30	अति.प्रशासनिक अधिकारी	पदौन्नति	244	178	66
31	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	पदौन्नति	548	353	195
32	वरिष्ठ सहायक	पदौन्नति	1123	674	449
33	कनिष्ठ सहायक	सीधी भर्ती	1951	1292	659
34	क्ली. अभिलेख सहायक	सीधी भर्ती	474	0	474
35	अतिरिक्त निजी सचिव	पदौन्नति	2	0	2
36	निजी सहायक	पदौन्नति	3	2	1
37	शीघ्र लिपिक	सीधी भर्ती	23	9	14
38	व.लि.कम स्टेनो	पदौन्नति	25	18	7
		MINISTRIAL TOTAL	**4502**	**2563**	**1939**

क्र. सं.	पद नाम	सीधी भर्ती /पदौन्नति	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
39	वरिष्ठ स्वास्थ्य कार्यकर्ता	पदौन्नति	63	32	31
40	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सीधी भर्ती	799	374	425
41	बी.सी.जी.टैक्नीशियन	सीधी भर्ती	9	0	9
42	टी.बी.हैल्थ विजिटर	पदौन्नति	28	5	23
43	एन.एम.टी.एल.	पदौन्नति	4	1	3
44	व.एन.एम.एस.	पदौन्नति	2	0	2
45	एन.एम.एस.	पदौन्नति	8	2	6
46	एन.एम.ए.	पदौन्नति	3	0	3
47	स्वास्थ्य शिक्षक	पदौन्नति	14	5	9
48	वरिष्ठ जनस्वास्थ्य पर्यवेक्षक	पदौन्नति	1	0	1
49	जनस्वास्थ्य पर्यवेक्षक	पदौन्नति	14	1	13
50	मलेरिया निरीक्षक	पदौन्नति	62	6	56
51	हास्पिटल केअर टेकर	सीधी भर्ती	54	0	54
52	वाहन चालक	सी.भ/पदौ.	569	317	252
53	विद्युतकार	सी.भ/प.	38	6	32
54	मैकेनिक	सी.भ/पदौ.	4	2	2
55	प्रोजेक्नीस्ट	सीधी भर्ती	39	4	35
56	रेफ्रिजरेटर मैके.	सीधी भर्ती	22	12	10
57	वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक	पदौन्नति	22	3	19
58	स्वास्थ्य निरीक्षक	सीधी भर्ती	126	22	104
59	कोर्डिनेटर	पदौन्नति	4	4	0
60	फीमेल कान्टेक्ट	सीधी भर्ती	3	2	1
61	कनिष्ठ विश्लेशक सं.	सीधी भर्ती	16	0	16
62	व.विश्लेशक सहा.	पदौन्नति	3	2	1
63	धोबी	सीधी भर्ती	50	15	35
64	कुक	सीधी भर्ती	104	21	83
65	दर्जी	सीधी भर्ती	23	4	19
66	क्लीनर (खलासी)	सीधी भर्ती	57	14	43
67	वार्ड बॉय/चश्रेकर्मचारी	सीधी भर्ती	12828	4915	7913
68	सफाई कर्मचारी	सीधी भर्ती	2985	448	2537
69	पम्प ड्राईवर	सीधी भर्ती	23	3	20
70	कारपेन्टर	सीधी भर्ती	12	1	11
71	माली/बागवान	सीधी भर्ती	6	2	4
72	नाई	सीधी भर्ती	2	0	2
73	चौकीदार	सीधी भर्ती	15	2	13
		OTHER & Cl IV Total	**18012**	**6225**	**11787**
Grand Total			**101404**	**61974**	**39430**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (जन स्वास्थ्य) विभाग का प्रशासनिक ढांचा

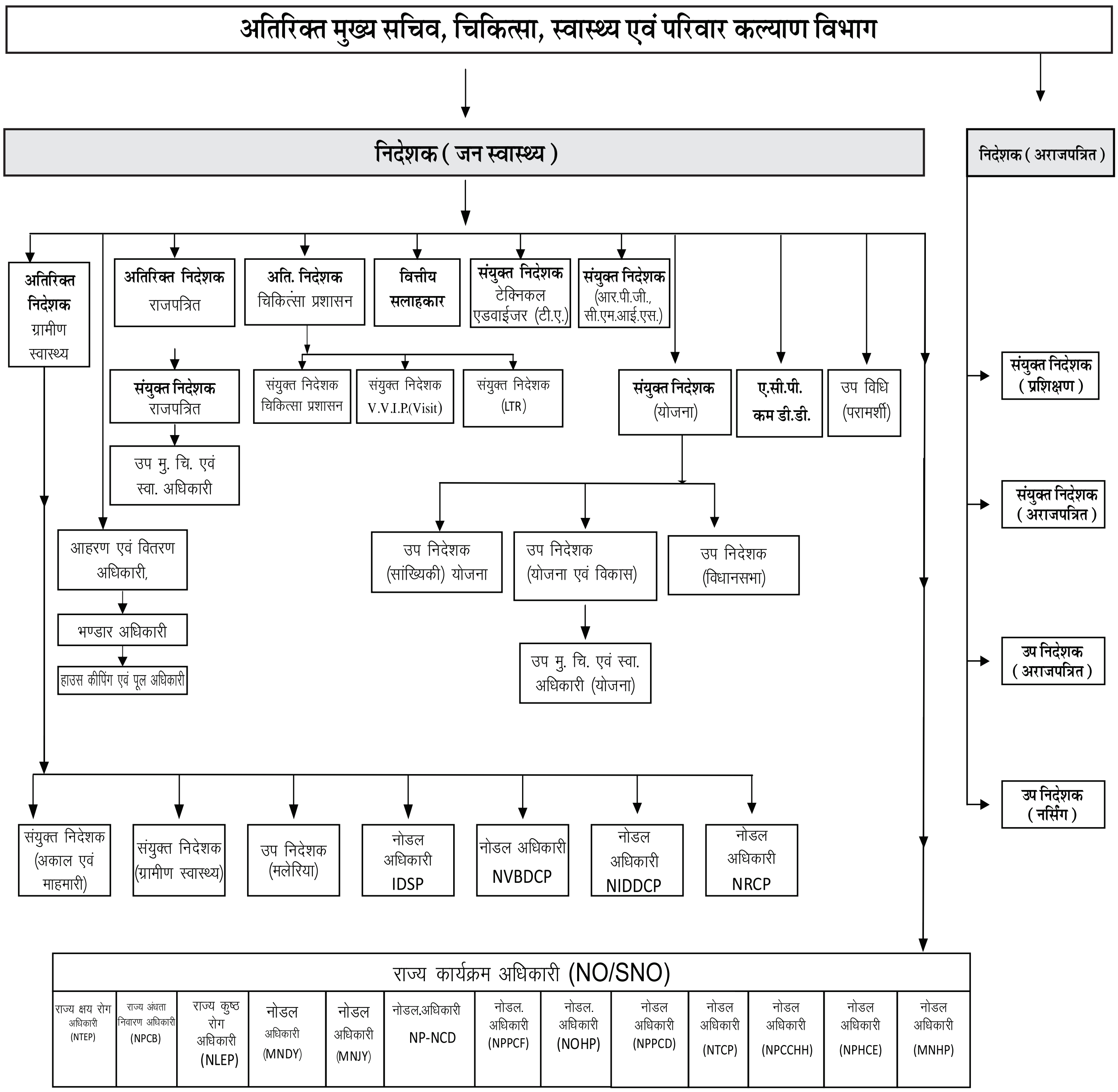

IDSP - Integrated Disease Surveillance Programme
NIDDCP - National Iodine Deficiency Disorders Control Programme
NRCP - National Rabies Control Programme
NTEP - National Tuberculosis Elimination Programme
NLEP - National Leprosy Eradication Programme
NPCB - National Programme for Control of Blindness
NPPCF - National Programme for Prevention and Control of Fluorosis
NOHP - National Oral Health Programme
NPPCD - National Programme for Prevention and Control of Deafness
LTR - Logistics & Transportation

NTCP - National Tobacco Control Programme
NMHP - National Mental Health Programme
NPHCE - National Programme for Health Care of the Elderly
NVBDCP - National Vector Borne Disease Control Programme
MNJY - Mukhyamantri Nishulk Janch Yojna
MNDY - Mukhyamantri Nishulk Dava Yojna
NP-NCD - National Programme for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases
NPCCHH - National Programme on Climate Change & Human Health
RPG - Redressal of Public Grievances
CMIS - Chief Minister Information System
VVIP - Very-Very Important Person

राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी का प्रशासनिक ढांचा

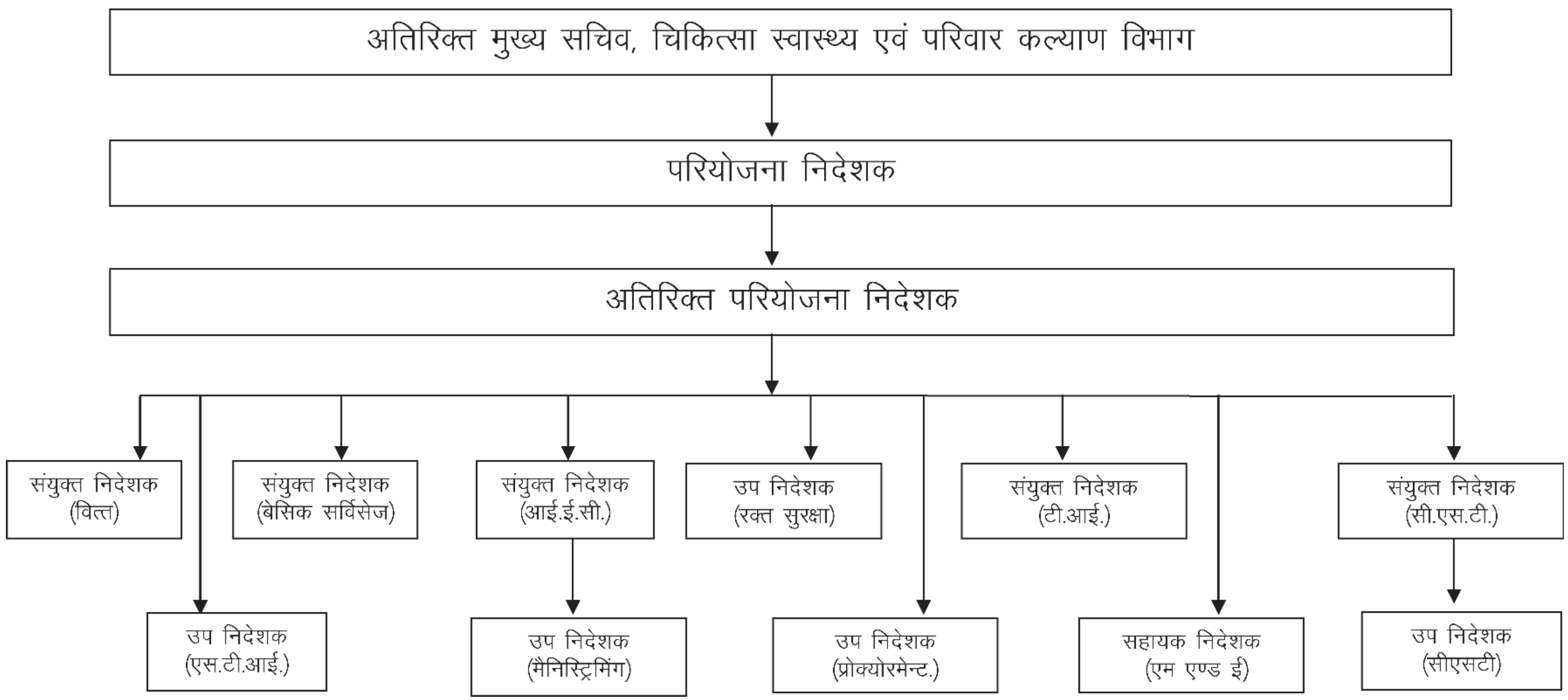

नोट

नोट

नोट

चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान

मुद्रक : राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर